लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 29 सितम्बर, 2007

में विचारणीय विषयों की

कार्यसूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 29 सितम्बर, 2007 में विचारणीय विषयों की कार्य–सूची

कमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 13 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	07
3.	शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास करने के सम्बन्ध में ।	12
4.	लखनऊ नगर में जेल रोड पर स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान को "मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल" के रुप में विकसित करने के सम्बन्ध में ।	19
5.	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर स्थित स्मृति उपवन का नामकरण "मा0 कांशीराम जी स्मृति उपवन" करने तथा इसका वृहद विकास करने के सम्बन्ध में ।	21
6.	राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में ।	22
7.	लखनऊ नगर में बहु–विशेषज्ञीय अस्पताल तथा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेण्टर परियोजनाओं का कियान्वयन पी0पी0पी0 माडल पर कराने के सम्बन्ध में ।	25
8.	लखनऊ नगर की अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण व अन्य अर्बन रिजुवनेशन परियोजनाओं का कियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) माडल पर कियान्वित करने हेतु कन्सल्टेंट का चयन करने एवं पी0डी0एस0पी0वी0 गठित करने के सम्बन्ध में ।	27
9.	लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में विकासकर्ता कम्पनी/वास्तुविद्/नगर नियोजकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार कतिपय संशाधनों पर विचार ।	37
10.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्मित किये जाने वाले रिहायशी इकाईयों का घनत्व 500 रिहायशी इकाईयॉ प्रति हेक्टेअर अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	42
11.	ताज रेजीडेन्सी के पीछे पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि तथा ग्राम औरंगाबाद खालसा में शहीद पथ के दक्षिण में उपलब्ध 10 बीघा 5 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग में अवस्थित है। पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि पर अतिथि गृह का निर्माण किये जाने तथा प्रश्नगत औरंगाबाद खालसा में उपलब्ध भूमि को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	44

12.	डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस चौकी के बगल में अतिथि गृह का निर्माण, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल परिसर के बाहर रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र का कार्य, तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान का लैण्ड स्केप तथा अन्य कार्यो हेतु मेसर्स आर्कीटेक्ट ब्यूरो, नई दिल्ली को कन्सलटेन्ट के रुप में की गई नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	48
13.	राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर प्रस्तावित 60मी0 सड़क की चौड़ाई को 30 मी0 (कैनाल की दायीं ओर) किये जाने तथा कैनाल के दूसरी ओर (कैनाल के बायीं ओर) अवशेष 30 चौड़ी पट्टी की रोड कालीदास मार्ग से सदर कासिंग तक आवासीय, सदर कासिंग से मवैया तक व्यवसायिक तथा मवैया से राजाजीपुरम तक आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में ।	50
14.	गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद , खण्डपीठ लखनऊ के पक्ष में आवंटित 40 एकड़ भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक से संस्थागत (कार्यालय) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।	52
15.	लखनऊ महायोजना 2021 के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे 4 जोनल प्लान्स की प्रगति तथा 3 और जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को नोडल एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध मे ।	55
16.	श्रीमती ऊषा बजाज पत्नी श्री रणबीर बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज द्वारा भूखण्ड संख्याः बी–940, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ का भू–उपयोग महायोजना– 2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,लखनऊ पीठ में दायर याचिका सं0–6553(एम0बी0)/2006 पर पारित आदेश के सम्बन्ध में ।	58
17.	बिरला साफ्ट द्वारा आवास बन्धु उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित इन्टीग्रेटेड अप्लीकेशन साफ्टवेयर पैकेज (आई0ए0एस0पी0)को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुचारु रुप से कियान्वित करने हेतु फेसिलिटी मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में।	60
18.	कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेसन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध मे ।	65
19.	ग्राम बरगवॉ परगना बिजनोर, जनपद–लखनऊ स्थित खसरा संख्या–585 में निर्मित भवन के समायोजन हेतु ।	68
20.	कुमायूँ परिषद, लखनऊ द्वारा उत्तराखण्ड कलाकेन्द्र एवं बहु–उद्देशीय भवन के निर्माण हेतु कुमायूँ परिषद को गोमती नगर विस्तार योजना में 500 वर्गमी0 संस्थागत भूमि आवंटन विषयक ।	73
21.	ओरागा तजहा फाउण्डेशन हेतु व्यवसायिक शिक्षण संस्थान आई0टी0 आई0, बी0बी0ए0 एवं एम0बी0ए0 को हरदोई रोड योजना के सेक्टर–आई में 2.5 एकड़ संस्थागत भूमि आवंटन विषयक ।	74

विषय संख्या : 1   पृष्ठ संख्या : 01

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री हरभजन सिंह	उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री रामबहादुर	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
7.	श्रीमती प्रभावती सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग,
8.	ई0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।

अन्य उपस्थितिः

10.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
11	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
13.	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
14	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–वि0यां0, ल0वि0प्रा0

M ८

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या–4 लखनऊ महायोजना 2021 के जोन–22 के जोनल प्लान को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 द्वारा बताया गया कि पूरे लखनऊ शहर को 22 जोन में बॉटा गया है तथा जोन–16 एवं 22 का जोनल प्लान आ चुका है इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने यह जानना चाहा कि इसको पूरा करने के लिए क्या समयसारिणी बनाई गई है तथा जोनवार प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं या नहीं? यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो एक सप्ताह में इसे बना लिया जाय और यदि एक कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एक से अधिक संस्थाओं को इस कार्य को दिया जा सकता है।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 श्री एन0आर0 वर्मा द्वारा बताया गया कि जोनल प्लान के सम्बन्ध में उन्होने अपनी एक टिप्पणी दी थी जिसे प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि जोनल प्लान बनाते समय उनके सुझावों को सम्मिलित किया जा सके। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा जो जोनल प्लान उपलब्ध कराये जायें उन पर सर्वप्रथम मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की राय प्राप्त कर ली जाय तत्पश्चात् प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

२८

विषय संख्या : 3 प्राधिकरण के अभियन्ताओं व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः

प्राधिकरण को सचिव,ल0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में निर्धारित सीमा अपर्याप्त है एवं इसे बढ़ाया जाना उचित होगा । विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि सेलफोन के किराये की धनराशि निर्धारित सीमा के अतिरिक्त देय होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर वित्त विश्लेषण कर यह देखा जाय कि इस सुविधा के फलस्वरुप क्या लाभ हुआ ।

विषय संख्या : 4 लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं इस हेतु "टर्न की बेसिस" पर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक श्री एन0आर0 वर्मा द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि बिड़ला साफ्ट द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है एवं कुछ प्राधिकरणों में इसे लागू किया जा चुका है। उन्होने यह भी अवगत कराया कि कानपुर विकास प्राधिकरण में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने सुझाव दिया कि बिड़ला साफ्ट को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित होगा एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण इसे प्रयोग के तौर पर लागू करके देख लें उसके उपरान्त निर्णय लिया जाना उचित होगा ।

विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि बिड़ला साफ्ट को एक अवसर प्रदान कर दिया जाय। यदि बिड़ला साफ्ट द्वारा एक माह में साफ्टवेयर सन्तोषजनक रुप से लागू नहीं किया जाता है तो उपाध्यक्ष दिये गये प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र रुप से साफ्टवेयर विकसित करने एवं हार्डवेयर के विकसित कराने की कार्यवाही करायें ।

विषय संख्या : 5 — राजाजी पुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या: 6 — राजाजी पुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर प्रस्तावित निर्माण व विकास के नियोजन एवं भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय संख्या : 7 — श्री रामपाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक के पुत्र श्री धर्मेन्द्र सिंह की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 8 — हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन तथा उससे सम्बद्ध भूमि पर मल्टीलेबिल पार्किंग, काम्पलेक्स का निर्माण ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 9 — गोमती नगर विस्तार योजना के विद्युतीकरण हेतु पुनरीक्षित बजट के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय संख्या : 10 — लखनऊ की विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी आदि के लिए कन्सल्टेंट आबद्ध करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया, विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय संख्या : 11	जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटित 23 पट्टेदारों की भूमि का समायोजन कर आवंटित भूमि के बदले आवासीय भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
विषय संख्या : 12	शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओं तथा प्राधिकरण के अन्य तात्कालिक प्रकृति के कार्यो का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल के अनुसार विभागीय पद्धति पर कराने के सम्बन्ध में
निर्णय :	चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी ।
अनुपूरक विषय:	नगरीय निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण ।
निर्णय :	विचार–विमर्श के उपरान्त भवनों के निर्माण लागत को छोडकर शेष प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। भवन की निर्माण लागत अधिक होने के कारण निर्देश दिये गये कि इसका पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाय ।
अन्य विषय	1– जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी एवं यह निर्णय लिया गया कि योजना/क्षेत्रवार एक सप्ताह में कैम्प लगाकर जनसामान्य की शिकायतों को कैम्प में ही अन्तिम रुप से निस्तारित किया जाय ताकि शिकायतकर्ता बार–बार कार्य के लिए न दौड़े। इस प्रकिया को आगामी दिनों में नियमित रुप से चलाया जाय। 2– अनधिकृत निर्माणों व अतिक्रमण के सम्बन्ध में असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बड़े–बडे अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए इनका

प्रकाशन कराकर और पर्याप्त सूचना के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये ताकि इसका व्यापक प्रभाव पडे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी ।

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय संख्या : 2 **पृष्ठ संख्या : 7**

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय कमांक	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।	नोट किया गया।
3	प्राधिकरण के अभियन्ताओं व अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रधिकरण को सचिव, ल0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में निर्धारित सीमा अपर्याप्त है एवं इसे बढ़ाया जाना उचित होगा । विचार विमर्श के उपरान्त इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि सेल फोन के किराये की धनराशि निर्धारित सीमा के अतिरिक्त देय होगी । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर वित्त विश्लेषण	निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी, परिणाम संतोषजनक परिलक्षित हो रहे हैं।

		कर यह देखा जाये कि इस सुविधा के फलस्वरुप क्या लाभ हुआ ।	
4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न कियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं इस हेतु "टर्न की बेसिस" पर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक श्री एन0आर0 वर्मा द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि बिड़ला साफ्ट द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है एवं कुछ प्राधिकरणों में इसे लागू किया जा चुका है। उन्होने यह भी अवगत कराया कि कानपुर विकास प्राधिकरण में लागू करने की प्रकिया चल रह रही है। उन्होने सुझाव दिया कि बिड़ला साफ्ट को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित होगा एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण इसे प्रयोग के तौर पर लागू करके देख लें। उसके उपरान्त निर्णय लिया जाना उचित होगा । विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णया लिया गया कि बिड़ला साफ्ट को एक अवसर प्रदान कर दिया जाये। यदि बिड़ला साफट द्वारा एक माह में साफ्टवेयर संतोषजनक रुप से लागू नहीं किया जाता है तो	बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मेसर्स बिड़ला साफ्ट द्वारा बनाये गये साफ्टवेयर को प्राधिकरण में इम्प्लीमेन्टेशन कराने हेतु एक माह का समय दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 31.08.2007 को मेसर्स बिड़ला साफ्ट के प्रतिनिधि एवं प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों की उपाध्यक्ष महोदय के साथ बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि उक्त साफटवेयर इम्प्लीमेन्टेशन किया जाना है। बिड़ला साफ्ट द्वारा दिनांक: 03.09.2007 से दो पालियों में वृहद रुप से परीक्षण दिये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम संतोषजनक रुप से चल रहा है।

		उपाध्यक्ष दिये गये प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र रुप से साफ्टवेयर विकसित करने एवं हार्डवेयर के विकसित कराने की कार्यवाही करायें।	
5	राजाजी पुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया ।	अनुपालन किया गया।
6	राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर प्रस्तावित निर्माण व विकास के नियोजन एवं भू–उपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
7	श्री रामपाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक के पुत्र श्री धमेन्द्र सिंह की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित ।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
8	हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन तथा उससे सम्बद्ध भूमि पर मल्टीलेबिल पार्किंग, काम्पलेक्श का निर्माण।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया ।	कार्यवाही की जा रही है।
	गोमती नगर विस्तार	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त	प्राधिकरण बोर्ड के

	योजना के विद्युतीकरण हेतु पुनरीक्षित बजट के सम्बन्ध में ।	स्वीकृति प्रदान की गयी ।	निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
10	लखनऊ को विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी आदि के लिये कन्सल्टेंट आबद्ध करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया, विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
11	जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटित 23 पट्टेदारों की भूमि का समायोजन कर आवंटित भूमि के बदले आवासीय भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	कार्यवाही की जा रही है ।
12	शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओं तथा प्राधिकरण के अन्य तात्कालिक प्रकृति के कार्यो का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल के अनुसार विभागीय पद्धति पर कराने के सम्बन्ध मे ।	चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी ।	अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।
अनु0 विषय	नगरीय निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों का	विचार विमर्श के उपरान्त भवनों के निर्माण लागत को छोड़कर शेष प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक	भवनों की संशोधित ड्राइंग / डिजाइन तैयार

	निर्माण।	सहमति प्रदान की गयी । भवन की निर्माण लागत अधिक होने के कारण निर्देश दिये गये कि इसका पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाये ।	कराई गयी जिसके अनुसार प्रति भवन 1.62 लाख प्रस्तावित है। उक्त निर्माण लागत जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय अर्बन रिन्युवल मिशन,बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है।
अन्य विषय		1.जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी एवं यह निर्णय किया गया कि योजना/क्षेत्रवार एक सप्ताह में कैम्प लगाकर जनसामान्य की शिकायतों को कैम्प में ही अन्तिम रुप से निस्तारित किया जाये ताकि शिकायतकर्ता बार–बार कार्य के लिये न दौड़े। इस प्रकिया को आगामी दिनों में नियमित रुप से चलाया जाये। 2. अनधिकृत निर्माणों व अतिकमण के सम्बन्ध में असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बड़े–बड़े अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए इनका प्रकाशन कराकर और पर्याप्त सूचना के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये ताकि इसका व्यापक प्रभाव पड़े ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषयः शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास करने के सम्बन्ध में।

मा. मंत्री, आवास, लोक निर्माण, सिंचाई एवं आबकारी की अध्यक्षता में 'मान्यवर कॉशीराम जी जन्म स्मृति राज्य स्तरीय समारोह समिति' की दिनॉक 01.08.2007 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मान्यवर कॉशीराम की प्रतिमा के साथ-साथ माननीया मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा को किसी उपयुक्त एवं सार्वजनिक स्थल पर लगाया जाये तथा स्थल का लैण्ड स्केप एवं सौन्दर्यीकरण किया जाये। पुनः दिनॉक 22.08.2007 को उक्त समिति की सम्पन्न बैठक में उपरोक्त के लिए डा. भीमराव अम्बेडकर मैदान का चयन किया गया है एवं डा. भीमराव अम्बेडकर मैदान में कतिपय विकास व निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया गया है।

2. डा. अम्बेडकर मैदान में पूर्व में रैली व अन्य समारोहों का आयोजन किया जा रहा था, अतः डा. भीमराव अम्बेडकर मैदान में उपरोक्तानुसार सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य से पूर्व रैली एवं अन्य समारोहों के लिए वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

3. इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा अपने अर्द्ध शासकीय पत्र सं0-1481/ओ.एस.डी./2007 दिनांक 08.09.2007 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसमें जिलाधिकारी द्वारा डा. भीमराव अम्बेडकर मैदान के स्थान पर राजनैतिक रैलियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आयोजन हेतु ग्राम ख्वाजापुर, तहसील-सदर, जिला लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित शारदा नगर योजना में उपलब्ध वैकल्पिक स्थान पर भविष्य में ऐसे आयोजनों हेतु स्थल चयनित करने की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि प्राधिकरण द्वारा संचालित शारदा नगर योजना के अन्तर्गत राधा खण्ड में प्राधिकरण की अधिग्रहीत भूमि उपलब्ध है, जिसके बीच में लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में ख्वाजापुर गांव की आबादी स्थित है। गांव की आबादी इसी खण्ड में अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी, लखनऊ के प्रस्ताव के क्रम में गांव को छोड़कर प्राधिकरण द्वारा लगभग 48 एकड़ भूमि वर्तमान में राजनैतिक रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है।

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

मनीष सिंह
अ०अ०प्रे०पू०-2

4. उपरोक्त स्थल राजनैतिक रैली, सभा, प्रदर्शनी के लिए चयनित करने हेतु शासन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त इसका विकास किया जाना होगा, जिसके अन्तर्गत चारों ओर बाउन्ड्रीवाल, समारोह हेतु स्टेज, सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था तथा ट्वायलेट एवं भूमि का समतलीकरण आदि व अन्य सौन्दर्यीकरण का कार्य सम्मिलित होगा। अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत है, जो कि हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर आदि का भुगतान करने के उपरान्त शारदा नगर योजना के अन्तर्गत विकासित की गई है। महायोजना 2021 में उपरोक्त भूमि आवासीय है। यह भी उल्लेखनीय है कि शारदा नगर याजना में आवासीय भूमि की लागत रू0 3300/- प्रति वर्गमीटर है, जिसके आधार पर 50 एकड़ भूमि की लागत कुल रू0 66,79,20,000/- होती है। प्राधिकरण द्वारा बल्क भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत 20 प्रतिशत बल्क छूट देने के उपरान्त भूमि की लागत रू0 50,43,36,000/- होती है। इसके अतिरिक्त **मैदान** के विकास आदि के मद में लगभग रू0 10.00 करोड़ की धनराशि व्यय होना अनुमानित है। इस धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

5. प्रस्तावित स्थल के बीच में अलग-अलग स्थानों पर कुल मिलाकर लगभग 5 हेक्टेयर अनार्जित भूमि स्थित है। इन्हीं में से एक भू-स्वामी - न्यू सहयोगी सहकारी आवास समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ में एक रिट याचिका दायर की गयी थी जिसमें दिनांक 05.09.07 को सुनवाई के समय मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अनार्जित भूमि पर भू-स्वामी की सहमति के बगैर विकास कार्य न करने के निर्देश दिये गये थे। संगठित विकास के लिए अनार्जित भूमि को भी योजना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से अनार्जित भूमि के भू-स्वामियों से समझौता वार्ता की गयी है। ये भू-स्वामी अनार्जित भूमि के बदले अन्यत्र भूमि लेने को सहमत है। उनकी सहमति के आधार पर अनार्जित भूमि के स्वामियों से समझौता अनुबंध करके उन्हें इसी खण्ड में एक किनारे वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।।

6. प्रस्तावित सभा स्थल के बीच में लगभग 3 एकड़ भूमि में ख्वाजापुर नाम का एक गांव/आबादी स्थित है जिसमें लगभग 28 परिवारों के घर है। सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण से गांव वालों से वार्ता की गई है। यह इसी खण्ड में अन्यत्र शिफ्ट करने को सहमत है। राधा खण्ड में एक किनारे स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा से मिला हुआ एक भू-भाग रिक्त है जिसमें ख्वाजापुर की आबादी को शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त अनर्जित भूमि के स्थान पर अन्यत्र भूमि देने तथा ग्राम ख्वाजापुर की आबादी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु निम्न शर्तो पर अनर्जित भूमि के स्वामी गांव वासियों द्वारा सहमति दी गयी है :-

1. अनर्जित भूमि के बदले उतनी ही अविकसित भूमि शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में अन्यत्र दी जाय।

मनीष सिंह
अ०अ०प्र०खं-2

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

2. जिस भूमि पर निर्माण है उसका मूल्यांकन कराकर निर्माण के मूल्य का भुगतान किया जाय।
3. भूमि के विनिमय विलेख में स्टाम्प आदि पर जो व्यय हो वह प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाय।
4. योजना में स्थित गांव का विकास किया जाय।

प्रस्ताव

उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकतार्थ प्रस्तुत है:-

1. प्राधिकरण की शारदा नगर योजना में राधा खण्ड में लगभग 50 एकड भूमि को "रमाबाई अम्बेडकर **मैदान**" के रूप में विकसित किये जाने पर अनुमोदन।

2. अविकसित भूमि के बदले अविकसित भूमि के विनिमय विलेख पर आने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति।

3. निर्माण की लागत का नियमानुसार आंकलन कर भुगतान की स्वीकृति।

4. प्रस्तावित गांव के विकास कार्यो में होने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति।

(मनीष कुमार सिंह)	(त्रिलोकी नाथ)	(विवेक पाण्डेय)
अधि0अभि0-ग्रो0यू0-2	मुख्य अभियन्ता	संयुक्त सचिव-2

पारित

सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दि0 24.09.07 को हुई समायोजन समिति की बैठक का कार्यवृत

1. श्री भूपेन्द्र सिंह,सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ
2. श्री महेन्द्र प्रसाद,वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ
3. श्री वी0बी0एल0एन0 शर्मा,मुख्य नगर नियोजक,लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

अन्य उपस्थिति

1. श्री विवेक पाण्डे, संयुक्त सचिव-2 लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

ल0वि0प्रा0 की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के अर्न्तगत राधा खण्ड मे शासन के निर्देशानुसार रमाबाई अम्बेडकर रैली स्थल विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार राधा खण्ड की उक्त भूमि पर शीघ्र ही श्रीमती रमाबाई अम्बेडकर रैली स्थल विकसित किये जाने के निर्देशो के क्रम मे विकास कार्य प्रारम्भ किया जाना है। इस राधा खण्ड की भूमि के बीच बीच मे अनार्जित भूमि खसरा संख्या-1032 से 1036 व 1040 से 1044 व 1049, 1051, 1052, 1053 व भूमि खसरा संख्या-938 भाग ग्राम औरगांबाद खालसा की भूमि स्थित होने के कारण विकास कार्य मे बाधा उत्पन्न हो गई। साथ ही न्यू सहयोगी सहकारी आवास समिति लि0 के सचिव श्री अशोक कुमार शुकला द्वारा ल0वि0प्रा0 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च मे रिट याचिका संख्या एमबी/2007 दायर किया गया जिसमे दिनांक 05.09.2007 को सुनवाई के समय मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को आदेशित किया गया कि अनार्जित भूमि पर बिना काश्तकार की सहमति से विकास कार्य न कराया जाये। इस प्रकार शासन की मन्शा के अनुरूप रमाबाई रैली स्थल के विकास कार्य मे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। चूकि उपरोक्त अकिंत खसरा नम्बरो को सम्मिलित किये बिना रैली स्थल विकसित नही किया जा सकता है।,रैली स्थल के मध्य पडने वाली अनार्जित भूमि को अर्जित करके ही प्राप्त किया जा सकता है अथवा काश्तकारो से आपसी समझौता करके प्राप्त किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण में होने वाले विलम्ब के दृष्टिगत उक्त भूमि काश्तकारो से आपसी समझौता करके ही शीघ्र प्राप्त किया जाना उचित होगा।

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्थलो पर ग्राम औरगाबाद खालसा के काश्तकारो एवं ग्राम के निवासियो से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान ग्रामवासियो एवं काश्तकारो द्वारा रैली स्थल के बीच मे पडने वाली भूमि के बदले उसी ग्राम मे प्राधिकरण की भूमि दिये जाने के सम्बन्ध मे सहमति व्यक्त की गयी। फलस्वरूप प्राधिकरण के सचिव द्वारा अपनी अध्यक्षता मे बैठक करके निम्न काश्तकारो/सहकारी समिते के सचिव जिनकी भूमि रैली स्थल के मध्य मे पडती है उनसे निम्नवत समझौता किया गया:-

क्र0	नाम काश्तकार/समिति	समझौता का दिनांक	समझौते मे लिये गये निर्णय
1.	न्यू सहयोगी आवास समिति लि0 सचिव श्री अशोक शुक्ला	09.09.07	भूमि के बदले भूमि
	सरस भारती सहकारी आवास समिति	09.09.07	भूमि के बदले भूमि एवं

	सचिव सोमिल कुमार निवासी राजाजी पुरम लखनऊ।		निर्माण की मालियत का प्रतिकर
3.	श्री मेवालाल पुत्र लक्ष्मण निवासी औरगाबाद खालसा	10.09.07	भूमि के बदले भूमि
4	श्री झब्बूलाल निवासी औरगाबाद खालसा	10.09.07	भूमि के बदले भूमि
5.	श्रीमती परमेश्वरी पत्नी श्री के वी शर्मा नि0 425 हिन्द नगर कानपुर रोड	09.09.07	भूमि के बदले एव निर्माण की मालियत का भुगतान।
6.	श्री दयाराम फौजी पुत्र श्री सालिगराम निवासी 238, एलडी सेक्टर पराग डेरी, लखनऊ	10.09.07	भूमि के बदले भूमि एवं बाउण्ड्री का निर्माण लागत

समायोजन समिति का निम्न मत स्थिर हुआः-

(अ) उपरोक्तानुसार प्रस्तावित रैली स्थल में काश्तकारो/समिति की आने वाली अनार्जित भूमि को प्राधिकरण की अर्जित भूमि मे से अदला बदली कर ली जाये इस सम्बन्ध में विनिमय में होने वाला व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा। विनिमय से प्राप्त होने वाली भूमि पर सम्बन्धित द्वारा ले-आउट स्वीकृत कराते समय नियमानुसार विकास शुल्क देय होगा।

(ब) अनार्जित भूमि पर स्थित निर्माणों का मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा काश्तकारो को किया जायेगा।

(स) प्रस्तावित रैली स्थल के अर्न्तगत आने वाले मजरा ख्वाजापुर ग्राम औरंगाबाद खालसा के निवासियों को अन्यत्र विस्थापित किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मूलभूत सुविधाऐ जैसे बिजली,पानी,सड़क आदि पर होने वाला व्यय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(विवेक पाण्डे)
संयुक्त सचिव-2

(वी0बी0एल0एन0 शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

(महेन्द्र प्रसाद)
वित्त नियंत्रक

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

ग्राम औरंगाबाद खालसा मे प्रस्तावित रैली स्थल के अर्न्तगत आने वाली अनार्जित भूमि के बदले काश्तकार/समिति को विनिमय की जाने वाली भूमि का विवरणः-

क्रम संख्या	काश्तकार/समिति का नाम	काश्तकार/समिति की भूमि का खसरा व क्षेत्रफल (हे0 मे)	काश्तकार/समिति को उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि का खसरा व क्षे0(हे0 मे)	अन्य विवरण
1	न्यू सहयोगी सहकारी आवास समिति सचिव अशोक कुमार शुक्ला	1040/0.0480 का 3/4 1041/0.0820 का 3/4 1041/0.1960 का 3/4 1044/0.3180 का 3/4 938क/0.4430 पूर्ण 1033/0.3670 पूर्ण 1034/0.0180 पूर्ण 1035/0.1760 पूर्ण 1036/0.3010 पूर्ण 1053/0.3550 पूर्ण 1040क/0.506 पूर्ण कुल रकबा 2.7120	974पी, 975, 976, 977पी, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 992मि, 994, 995, 996, 997पी, 1001 मे से **2.7120 हे0**	नोटः- अरबन सीलिगं से प्रभावित 0.1539 हे0
2.	सरस भारती सहकारी आवास समिति सचिव सोमिल कुमार	1051/0.342 1052/0.341 कुल रकबा **0.683** हे0	990, 991, 992 मि, 997 मि, मे से 0.4144 हे0,1058, 1059 मे से 0.2686 हे0 कुल रकबा **0.683** हे0 व निर्माणो का मूल्यांकन	नोटः- अरबन सीलिगं से प्रभावित खसरा संख्या-1052 मे 0.0537 हे0
3	श्री मेवालाल पुत्र लक्षिमन	1045/**0.3750** हे0	1062मि, 1063, 1064मि, मे से **0.3750 हे.**	-
4	श्री झब्बूलाल पुत्र छन्नू	1047पी/**0.1500** हे0	1062मि0 मे से **0.1500** हे0	-
5	श्रीमती प्रमेश्वरी शर्मा पत्नी के0डी शर्मा	1049स/**0.693**	1047मि0, 1091मि, 1092, 1093, मे से **0.693** हे0 व निर्माणो का मूल्यांकन	नोटः- अरबन सीलिगं से प्रभावित खसरा संख्या-1049 मे 0.1865 हे0
6	श्री दयाराम फौजी पुत्र सालिग राम	1049पी/**0.0126** हे0	1094मि0/**0.0126** हे0 व निर्माणो का मूल्यांकन	-

आर0 के0 सिंह
विशेष सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
प0सं0: 3828/8-1-2007

लखनऊः दिनांकः 10-9-07

18

प्रिय महोदय,

कृपया मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–1481/ओएसडी/2007, दिनांक 08.09.2007 (फोटो प्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान के स्थान पर राजनीतिक रैलियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आयोजन हेतु ग्राम ख्वाजापुर, तहसील सदर, लखनऊ (लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित शारदानगर योजना) में उपलब्ध वैकल्पिक स्थान पर भविष्य में ऐसे आयोजनों का सुझाव दिया है।

कृपया इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्पष्ट सहमति/संस्तुति यथाशीघ्र शासन को भिजवाने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि

सादर।

भवदीय,

R K Singh

(आर0के0 सिंह)

श्री हरभजन सिंह,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

विषय संख्या : 4 पृष्ठ संख्या- 19

विषय : लखनऊ नगर में जेल रोड पर स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर मैदान को 'मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल' के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

दिनांक 01.08.2007 को मा0 मंत्री, आवास, लोक निर्माण, सिंचाई तथा आबकारी की अध्यक्षता में 'मान्यवर कांशीराम जी जन्म स्मृति समारोह राज्य स्तरीय समिति' की सम्पन्न बैठक में मा. कांशीराम जी के जीते जी उनके द्वारा की गई इच्छा को उनकी मृत्यु के उपरान्त पूरा करने के लिए मा. कांशीराम जी की प्रतिमा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, कु. मायावती जी की भी प्रतिमा को उपयुक्त सार्वजनिक स्थल पर लगाने एवं स्थल की लैण्ड-स्केपिंग व सौन्दर्यीकरण का कार्य आवास विभाग द्वारा कराने का निर्णय लिया गया था।

2. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्णय के क्रम में उपयुक्त सार्वजनिक स्थल के चयन हेतु एक विषय 'मान्यवर कांशीराम जी जन्म स्मृति समारोह राज्य स्तरीय समिति' के समक्ष दिनांक 20.08.2007 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। मा. मंत्री आवास, लोक निर्माण, सिंचाई तथा आबकारी की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2007 को सम्पन्न 'मान्यवर कांशीराम जी जन्म स्मृति समारोह राज्य स्तरीय समिति' की बैठक में डा. भीमराव अम्बेडकर मैदान को उपयुक्त स्थल के रूप में चयनित किया गया है। उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि स्थल के चारों ओर मजबूत पत्थर की दीवार बनाकर वी.आई.पी. रोड पर बाउन्ड्रीवाल के सेन्टर में भव्य गेट निमित किया जाये, गेट के सम्मुख एक ऊँचा एवं भव्य भवन निर्मित करके उसमें मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा के साथ-साथ माननीया मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा स्थापित की जाये, रास्तों के किनारे हाथी तथा चारों कोनों पर ऊँचे फौव्वारे निर्मित किये जाएं एवं परिसर का सुरुचिपूर्ण विकास कराया जाये तथा स्थल के पास पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

3. उपरोक्त निर्णय के क्रम में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति के उपरान्त परिसर की डिजाइन तैयार करने हेतु बाहरी आर्कीटेक्ट मेसर्स आर्कीटेक्ट ब्यूरो, नई दिल्ली को आबद्ध किया गया है। आर्कीटेक्ट द्वारा कान्सेप्ट डिजाइन उपलब्ध कराई गई है, जिसके अनुसार परिसर के चारों ओर सॉलिड सैण्ड स्टोन की बाउन्ड्रीवाल, डोमनुमा एक भव्य द्वार, परिसर के केन्द्र में लगभग 140 फिट ऊंचा भव्य भवन तथा पाथ वे प्रस्तावित किया गया है। वास्तुबिद् द्वारा पाथ-वे के दोनों ओर 15 फिट ऊंचे ब्रॉन्ज के 26 हाथी, भवन के चारों ओर 10 मीटर ऊंचे ग्रेनाइट कालम [illegible] क हाथी के सिर के आकार के कैपिटल, भवन के द्वार पर 7 फिट [illegible] की दीपमाला तथा परिसर के चारों ओर कोने पर 28 फिट ऊंचे एवं

मु०अ० अभियन्ता,

24 फिट व्यास के ब्रांज के फाउन्टेन प्रस्तावित किये गये हैं। परिसर के केन्द्र में प्रस्तावित भवन के अन्दर वास्तुविद् द्वारा 6 फुट ऊंचे पेडस्टल पर मा. कांशीराम जी तथा मा. मुख्यमंत्री जी की 18 फिट ऊंची कांस्य प्रतिमा प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त परिसर में विद्युतीकरण एवं प्रकाश-व्यवस्था, लैण्ड स्केप विकास भी प्रस्तावित किया गया है। परिसर के पीछे स्थित एक अन्य खुले स्थान, जिसके एक कोने पर पी.ए.सी. हेतु बैरक बनाया गया है, में पार्किंग का प्रस्ताव तथा परिसर के चारों ओर सर्विस लेन को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है।

4. वास्तुविद द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्राइंग के अनुसार इसका व्ययानुमान तैयार कर व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त शासन से प्राप्त अनुदान से कार्य सम्पादित कराया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण व विकास कार्य हेतु बड़ी निर्माण कम्पनी को खुली निविदा के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया है एवं सूचीबद्ध फर्मों के मध्य वित्तीय निविदा प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

5. मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में समाज के दलित एवं शोषित वर्गों को संगठित किया गया, उन्हें संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार प्राप्त करने के तौर-तरीके से अवगत कराया गया तथा कानूनी अधिकारों के प्रति इन वर्गों के लोगों को जागृत किया गया। मान्यवर कांशीराम जी द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न माध्यमों से अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष किया गया तथा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पण की भावना से त्याग किया गया। मा. कांशीराम जी के त्याग, संघर्ष एवं समर्पण को प्रतिविम्बित करने के उद्देश्य से एवं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि के स्वरूप उपरोक्त परिसर का नामकरण "मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल" किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव :

उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत डा. भीमराव अम्बेडकर मैदान का नामकरण "मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल" करने एवं स्थल का उपरोक्तानुसार विकास करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सचिव

मुख्य अभियन्ता
ल० वि० प्रा०,

विषय : कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत लखनऊ-बिजनौर रोड पर स्थित स्मृति उपवन का नामकरण 'मा0 कांशीरामजी स्मृति उपवन' करने तथा इसका वृहद विकास करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में समाज के दलित एवं शोषित वर्गो को संगठित किया गया, उन्हें संविधान में प्रदत्त समानता का अधिकार प्राप्त करने के तौर-तरीके से अवगत कराया गया तथा कानूनी अधिकारों के प्रति इन वर्गो के लोगों को जागृत किया गया। मान्यवर कांशीराम जी द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न माध्यमों से अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष किया गया तथा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पण की भावना से त्याग किया गया। मा0 कांशीराम जी के त्याग, संघर्ष एवं समर्पण को प्रतिविम्बित करने के उद्देश्य से एवं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि के स्वरूप किसी उपयुक्त स्थान पर "मान्यवर कांशीरामजी स्मृति उपवन" का विकास किया जाना एवं नामकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में लखनऊ-बिजनौर रोड पर लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र में विगत में एक स्मृति उपवन का विकास किया गया था। इसके अन्तर्गत लगभग एक एकड़ क्षेत्र में कारगिल शहीदों की स्मृति में "कारगिल निकुज" एवं "कारगिल पुष्करिणी" के नाम से वाटिका विकसित की गयी है तथा लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया गया है। शेष भाग खुला हुआ है, जिसमें टहलने के लिए पाथवे बनाया गया है।

इस पूरे क्षेत्र का वृहद विकास एवं सौन्दर्यीकरण करने तथा इसका नामकरण "मान्यवर कांशीरामजी स्मृति उपवन" के रूप में किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत कानपुर रोड योजना में लखनऊ बिजनौर रोड पर स्थित स्मृति उपवन का नामकरण "मान्यवर कांशीरामजी स्मृति उपवन" करने तथा इसका वृहद विकास करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पारित

विषयः- राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की पिछली बोर्ड बैठक 13 अगस्त, 2007 में उपरोक्त परियोजना की पृष्टि भूमि एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत शासन एवं प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की गयी थी तथा लालबहादुर शास्त्री मार्ग से जी0एच0 कैनाल के अप स्ट्रीम पर इस परियोजना को लागू करने के लिए उ0प्र0 सेतु निगत के माध्यम से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। तदोपरान्त इस परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त कन्सलट्रेन्ट आई0डी0एफ0सी0 के माध्यम से कराने का प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसपर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

इस परियोजना के सम्बन्ध में की गयी अग्रिम कार्यवाही के विषयम में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

1. लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास के कार्यो के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कन्सल्ट्रेन्ट की नियुक्ति की जा रही है जिसके अन्तर्गत इस परियोजना की विस्तृत डी0पी0आर0 तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा कन्सल्ट्रेन्ट के माध्यम से इस परियोजना की पी0पी0पी0 माडल पर विकसित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसकी सहमति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है। परन्तु इस कार्य में कन्सलट्रेन्ट की नियुक्ति करने, प्रोजेक्ट डवलप करने एवं डवलपर को नियुक्त करने में समय लग सकता है।
2. परियोजना के प्रथम फेज जिसकी लम्बाई लगभग 4.90 किलोमीटर है को विकसित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके लिए रीजनल सेन्टर फार अर्बन एण्ड इनवारनमेन्ट स्टडीज, लखनऊ के माध्यम से परियोजना तैयार करायी गयी थी जिसे उ0प्र0 सरकार के माध्यम से भारत सरकार को जे0एन0आर0एम0 परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत हेतु भेजा गया था। भारत सरकार का जे0एन0आर0एम0 परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट का 50 प्रतिशत की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध हो सकती है।
3. चूंकि प्रथम चरण के प्रस्तावित 4.90 किलोमीटर का रास्ता शहर की घनी आवादी से होकर निकलता है और हैदर कैनाल के दोनों ओर सघन

मु0अ0 (वि0यो0)

आवादी है जिसमें अन्य कोई व्यवसायिक एक्टीविटी प्रस्तावित किया जाना कठिन है। इस परियोजना को पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत वायविल बनाने हेतु भारत सरकार का अनुदान स्वीटनर के रूप में कार्यकर सकता है।

4. लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर बाजार तक लगभग 3 माह पहले प्रस्तावित सड़क के एलाइमेन्ट में आने वाले क्षेत्र से अतिक्रमण हटाये गये। यदि इस स्थल पर निर्माण शीघ्र नहीं प्रारम्भ कराया जाता तो इस पर पुनः अतिक्रमण होने की पूरी सम्भावना है।

5. इस परियोजना पर वर्ष 1975 से कार्य किया जा रहा है तथा इस परियोजना का अध्ययन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा समय-समय पर कराया गया परन्तु अभी तक इस परियोजना पर कार्य शुरू करने की कोई सार्थक पहल नहीं हुई जिसके फलस्वरूप इस परियोजना की वाईबिल्टी पर भी समय-समय पर प्रश्नचिन्ह उठते रहे है। इस परियोजना के प्रस्तावित लगभग 770.00 मीटर के जो कि लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर बाजार तक का भाग है, पर सड़क निर्माण के पश्चात् इस क्षेत्र की ट्रैफिक कन्जर्वेसन को कम किया जा सकेगा। कैण्ट रोड एवं सदर बाजार से आने वाली ट्रेफिक को लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर डायवर्ट किया जाता है तो विधान सभा मार्ग की ट्रेफिक कन्जेशन की समस्या काफी सुलभ हो जायेगी।

6. इस सम्पूर्ण परियोजना को पी0पी0पी0 माडल के कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया है कि लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर बाजार व हैदर कैनाल के साथ-साथ सड़क का निर्माण कार्य करवा कर दोनों ओर से ट्रेफिक के लिए खोल दिया जाय तथा लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर बाजार तक सड़क की रिटेनिंगवाल बनाकर मिट्टी भराई के साथ सड़क निर्माण तथा खाली क्षेत्र को विकसित कर सौन्दर्यीकरण का कार्य तत्काल कर लिया जाय। इस प्रस्तावित कार्य की कुल लम्बाई लगभग 770.00 मीटर है। इस परियोजना के प्रथम चरण में हैदर कैनाल के उपर सड़क निर्माण का कार्य नहीं लिया गया है। इस कार्य को इस पूरे प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पी0पी0पी0 माडल के अनुसार विकसित करने के उपरान्त किया जायेगा तथा इस समय प्रस्तावित सड़क पर होने वाले व्यय को इस सम्पूर्ण परियोजना के अन्तर्गत माना जायेगा।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा लालबहादुर शास्त्री मार्ग से हैदर कैनाल के बांये किनारे पर निर्धारित एलाइमेन्ट

(वि॰ को॰)

के अनुसार लगभग 770.00 मीटर लम्बाई के सड़क का निर्माण प्रारम्भ करा दिया गया है जिसपर प्रथम चरण में 340.00 मीटर पर रू0 1,18,72,500.00 एवं द्वितीय चरण में 430.00 मीटर हेतु रू0 1,51,14,100.00 मात्र व्यय अनुमानित किया गया है।

इस परियोजना के प्रारम्भ किये गये कार्यो एवं व्यय को जी0एच0 कैनाल पर सड़क निर्माण की सम्पूर्ण परियोजना में भौतिक एवं वित्तीय रूप से समाहित कर लिया जायेगा।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त को दृष्टिगत लालबहादुर शास्त्री मार्ग से कैन्ट रोड फ्लाई ओवर जी0एच0 कैनाल अप स्ट्रीम की ओर सड़क निर्माण तथा अन्य कार्य किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य अभियन्ता
(वि० यॉ०)

विषयः लखनऊ नगर में **बहु–विशेषज्ञीय** अस्पताल तथा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेण्टर परियोजनाओं का कियान्वयन पी.पी.पी. माडल पर कराने के सम्बन्ध में

डा. भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत के संविधान के माध्यम से समाज के दलित, शोषित एवं पिछड़े वर्गो को समाज में समानता का कानूनी अधिकार दिलाने के उपरान्त मान्यवर श्री कॉशीराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में इन वर्गो को संगठित किया गया, उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त करने के तौर–तरीके से अवगत कराया गया तथा इन कानूनी अधिकारों के प्रति इन वर्गो के लोगों को जाग्रत किया गया। मान्यवर कॉशीराम जी द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न माध्यमों से अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष किया गया। मान्यवर कॉशीराम जी के संघर्ष के फलस्वरूप ही समाज के दलित, शोषित एवं पिछड़े वर्गो को समाज में समानता का अधिकार मूर्त रूप में प्राप्त हुआ।

2. मान्यवर कॉशीराम जी के इन प्रयासों, उनके जीवन–संघर्ष, त्याग तथा समर्पण को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से एवं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धाजंलि के स्वरूप मान्यवर कॉशीराम जी के नाम से 500 बेड का एक **बहु–विशेषज्ञीय** अस्पताल तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कनवेन्शन सेन्टर तैयार किया जाना प्रस्तावित है। लखनऊ में बड़ी सभाओं के लिए कोई आडीटोरियम उपलब्ध नहीं है। अतः कनवेन्शन सेन्टर में एक आडीटोरियम की क्षमता न्यूनतम 1500 रखा जाना प्रस्तावित है।

3. दिनॉक 09.10.2007 को मान्यवर कॉशीराम जी की पुण्य तिथि है। अतः अस्पताल व कनवेन्शन सेन्टर का शिलान्यास उनकी पुण्य तिथि के दिन करने से प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजली होगी।

4. प्रदेश की अवस्थापना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं निजी क्षेत्र का वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा अवस्थापना विकास की विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) माडल पर कराने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा अवस्थापना विकास परियोजनाओं को पी.पी.पी. माडल पर क्रियान्वित करने के लिए कन्सलटेन्ट के चयन हेतु मार्ग–दर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भ में टर्म आफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) तैयार करके कन्सलटेन्ट के चयन पर मा. मंत्रिपरिषद का सैद्धान्तिक अनुमोदन लिया जाना निर्धारित है। मा. मंत्रिपरिषद के सैद्धान्तिक अनुमोदन के उपरान्त मार्ग–दर्शक सिद्धान्त के अनुसार कन्सलटेन्सी इवैल्यूएशन कमेटी (सी.ई.सी.) द्वारा कन्सलटेन्ट का चयन किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। लखनऊ नगर की अर्बन रिजुवनेशन की अन्य परियोजनाओं के साथ–साथ हजरतगंज पाकिंग तथा जी. एच. कैनाल सड़क परियोजना को पी.पी.पी. माडल पर क्रियान्वित करने के लिए कन्सलटेन्ट चयन के सम्बन्ध में मा. मंत्रि–परिषद के सैद्धान्तिक अनुमोदन से डी.आर.

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सी. द्वारा दिनॉक 23.08.2007 की बैठक में इस प्रतिबन्ध के साथ छूट प्रदान की गई है कि मा. मंत्रि–परिषद का अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा। मा. मंत्रि–परिषद का अनुमोदनआवास विभाग के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

5. नगर की अवस्थापना विकास परियोजनाओं को पी.पी.पी. माडल पर क्रियान्वित करने के उद्देश्य से कंसलटेन्ट का चयन करने तथा चयनित कन्सलटेन्ट के साथ एक प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.वी. (पी.डी.एस.पी.वी.) के गठन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनॉक 23.08.2007 को सम्पन्न हुई डी.आर.सी. तथा दिनॉक 24.08.2007 को सी.ई.सो. की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आर.एफ.पी. के माध्यम से दिनॉक 06.10.2007 तक कन्सलटेन्ट से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। परन्तु प्रस्तावित अस्पताल एवं कन्वेशन सेन्टर की परियोजना के लिए दिनॉक 09.10.2007 के प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम से पूर्व उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से कन्सलटेन्ट उपलब्ध नहीं हो पायेगा।

6. प्रस्तावित अस्पताल तथा कन्वेशन सेन्टर हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी तथा सुल्तानपुर रोड के बीच अमर शहीद पथ पर भूमि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। पी.पी.पी. माडल पर इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लखनऊ विकास प्राधिकरण पब्लिक पार्टनर के रूप में होगा। नगर में अवस्थापना विकास परियोजनाओं के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कन्सलटेन्ट चयनित करने एवं पी.डी.एस.पी.वी. गठित करने के उपरान्त इन परियोजनाओं हेतु निजी विकासकर्ता का चयन किया जायेगा। इस कार्यवाही में अभी कुछ समय लगेगा।

7. उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित शिलान्यास के सम्बन्ध में शासन का मार्ग–दर्शन मॉगा गया है। शासन के निर्देश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

8. उपरोक्त टिप्पणी प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

(मनीष कुमार सिंह)
अधि० अभि० प्रोजेक्ट यू०-2,
ल० वि० प्राधिकरण

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विषयः लखनऊ नगर की अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण व अन्य अर्बन रिजुवनेशन परियोजनाओं का कियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) माडल पर कियान्वित करने हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन करने एवं पी.डी.एस.पी.वी गठित करने के सम्बन्ध में।

अवस्थापना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं निजी क्षेत्र का वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा अवस्थापना विकास की विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) माडल पर कराने का निर्णय लिया गया है। परियोजनाओं को पी.पी.पी. माडल पर क्रियान्वित करने हेतु एक्सप्रेशन आफ इन्ट्रेस्ट (ई.ओ.आइ) एवं रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आर.एफ.पी.) डाक्यूमेन्ट तैयार करने, निजी क्षेत्र के चयन एवं उसके साथ अनुबन्ध आदि कराने के कार्यो के लिए ख्याति प्राप्त कन्सलटेन्ट की सेवाएं प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं। चयनित कन्सलटेन्ट के साथ एक प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.वी. (पी.डी.एस.पी.वी.) का गठन करके उपरोक्त समस्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस पी.डी.एस.पी.वी. में लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा चयनित कन्सलटेन्ट दोनो की हिस्सेदारी होगी।

2. प्राधिकरण की दिनॉक 13.08.2007 को सम्पन्न बैठक में लखनऊ नगर में हजरतगंज मल्टी लेविल पार्किंग, जी.एच. कैनाल सड़क परियोजना तथा लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास एवं अर्बन रिजुवनेशन की अन्य परियोजनाओं का कियान्वयन पी.पी.पी. के माध्यम से कराने हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था कि शहरी समग्र विकास विभाग द्वारा लखनऊ नगर की अवस्थापना कार्यो के कन्सल्टेन्सी हेतु आई.डी.एफ.सी. को चयनित किया गया है, अतः इन परियोजनाओं की कन्सल्टेंसी का कार्य आई.डी.एफ.सी से कराया जाय। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह तथ्य जानकारी में आया कि आईडीएफसी को जो कार्यादेश दिया गया है उसके अन्तर्गत उनके द्वारा लखनऊ शहर की 'काम्प्रीहेन्सिव ट्रैफिक एण्ड ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी प्लान' तथा 'एम.आर.टी.एस' और 'बी.आर.टी.एस.' हेतु परियोजनाओं के चिन्हीकरण तक का कार्य किया जाना है। आगे के कार्य के लिए उनके साथ अलग से नियम व शर्तें निर्धारित की जानी होगी।

3. मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2007 व 06.09.2007 को सम्पन्न बैठकों में इन परियोजनाओं पर वरीयता पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। आईडीएफसी द्वारा 'काम्प्रीहेन्सिव ट्रैफिक एण्ड ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी प्लान' तथा 'एम.आर.टी.एस' और 'बी.आर.टी.एस.'. के अन्तर्गत परियोजनाओं के चिन्हीकरण तक के कार्य ही किये जाने हैं, अतः अन्य परियोजनाओं पर कार्य करने तथा चिन्हीकरण से आगे की कार्यवाही जैसे डी.पी.आर. आदि पर तत्काल कार्य करने के लिए कन्सल्टेन्ट नियुक्त किया जाना आवश्यक है। कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने के सम्बन्ध

में दिनांक 23.08.2007 व 24.08.2007 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई थी जिसमें हजरतगंज कोतवाली, जी.एच. कैनाल सड़क परियोजना तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को मैनडेट किये जाने वाली अन्य परियोजनाओं पर वरीयता पर कार्य करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कन्सल्टेन्ट नियुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। दिनांक 23.08.2007 व 24.08. 2007 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक–1 व 2 पर संलग्न किया जा रहा है। पुनः दिनांक 06.09.2007 को मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक में लखनऊ नगर के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित करने तथा लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण एवं अर्बन रिजुवनेशन की अन्य परियोजनाओं को पी.पी.पी. माडल पर कियान्वित करने एवं इस हेतु प्राधिकरण द्वारा कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

4. शासन द्वारा अवस्थापना विकास परियोजनाओं को पी.पी.पी. माडल पर क्रियान्वित करने के लिए कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु मार्ग–दर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भ में टर्म आफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) तैयार करके कन्सल्टेन्ट के चयन पर मा. मंत्रिपरिषद का सैद्धान्तिक अनुमोदन लिया जाना निर्धारित है। मा. मंत्रिपरिषद के सैद्धान्तिक अनुमोदन के उपरान्त मार्ग–दर्शक सिद्धान्त के अनुसार कन्सलटेन्सी इवैल्यूएशन कमेटी (सी.ई.सी.) द्वारा कन्सलटेन्ट का चयन किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। लखनऊ नगर में हजरतगंज क्षेत्र में पार्किंग की गम्भीर समस्या के दृष्टिगत हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना व उससे सम्बद्ध कार्यालय को बाल्मीकि मार्ग स्थित महानिदेशक कारागार के कार्यालय एवं भवन में, महानिदेशक, कारागार के कार्यालय को पिकप भवन में स्थानान्तरित करने तथा हजरतगंज कोतवाली स्थल पर पार्किग विकसित करने का निर्णय लिया गया है। पार्किग की गम्भीर समस्या के दृष्टिगत यह परियोजना तत्काल प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार एक जनहित याचिका मैं मा. उच्च न्यायालय द्वारा जी.एच. कैनाल पर 6 लेन की सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है। दोनो ही परियोजनाऐं तात्कालिक रूप से प्रारम्भ की जानी हैं। अतः इन परियोजनाओं में मा. मंत्रिपरिषद की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनिवार्यता की छूट डिफिकल्टी रिमूवल कमेटी (डी.आर.सी.) द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ दी गई है कि मा. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा। मा. मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन अलग से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

5. उपरोक्त उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु हजरतगंज पार्किग तथा जी.एच. कैनाल सड़क परियोजना के साथ–साथ नगर की अन्य अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण तथा अर्बन रिजुवनेशन की परियोजनाओं हेतु कन्सलटेन्ट के चयन की प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ की गई है। दिनॉक 23.08.07 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई डी.आर.सी. तथा दिनॉक 24.08.2007 को सी.ई.सी. की बैठक के उपरान्त हजरतगंज पार्किग, जी.एच कैनाल सडक परियोजना के साथ–साथ नगर की अन्य अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण तथा अर्बन रिजुवनेशन की परियोजनाओं हेतु कन्सलटेन्ट के चयन की

...and Settings\...was\My Documents\New Folder\board agenda.doc

प्रक्रिया जारी है, जिसके अन्तर्गत दिनॉक 01.10.2007 को प्रीबिड मीट निर्धारित है एवं दिनांक 06.10.2007 तक आफर आमंत्रित किये गये हैं।

6. किंसी परियोजना के लिए कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने में सामान्यतयः उसका उद्देश्य डी.पी.आर. बनाने तक रहता है एवं परियोजना प्रारम्भ होने से पूर्व ही फीस के रूप में एक बड़ी धनराशि उसे प्राप्त हो जाती है। प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.वी. गठित करने का लाभ यह होगा कि एस.पी.वी. के माध्यम से कार्य कराने में एस.पी.वी. का एक स्टेक होल्डर अर्थात कन्सल्टेन्ट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के चयन तक सम्बद्ध रहेगा एवं उसे फीस का भुगतान परियोजना हेतु निजी विकासकर्ता का चयन पूरा होने के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार चयनित कन्सल्टेन्ट की फीस, परियोजना की सफलता पर निर्भर करेगा। इस प्रकार एस.पी.वी. के माध्यम से कार्य कराने में कन्सल्टेन्ट का 'स्टेक' अन्त तक रहेगा। इसे दृष्टिगत रखते हुये चयनित कन्सल्टेन्ट के साथ पी.डी.एस.पी.वी. गठित किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरांक्त के दृष्टिगत लखनऊ नगर में हजरतगंज पार्किंग, जी.एच कैनाल सड़क परियोजना के साथ–साथ नगर की अन्य अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण तथा अर्बन रिजुवनेशन की परियोजनाओं हेतु भारत सरकार के सूचीबद्ध कन्सल्टेन्ट में से उपयुक्त एवं अर्ह कन्सल्टेन्ट का चयन करने एवं चयनित कन्सल्टेन्ट के साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेण्ट एस.पी.वी. गठित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

(मनीष कुमार सिंह)
अधि० अभि० प्रोजेक्ट यू०-2,
ल० वि० प्राधिकरण

मुख्य अभियंता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

इस के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जब पूरी कार्यवाही हो जाय तो अंतिम स्वीकृति के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाय।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 23.08.2007 को हजरतगंज पार्किंग, जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्माण तथा नगर की अन्य अवस्थापना कार्यो के सम्बन्ध में सम्पन्न डिफिकल्टी रिमूवल कमेटी (डी.आर.सी.) की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1. श्री मोहिन्दर सिंह, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
2. श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सचिव औद्योगिक विकास विभाग/अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ.प्र. शासन।
3. श्री आर.एन. उपाध्याय, विशेष सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन।
4. श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, विशेष सचिव, न्याय, उ.प्र. शासन।
5. श्री हरभजन सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि दिनॉक 12 जुलाई, 2007 को मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लखनऊ के विकास के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक में हजरतगंज पार्किंग, महिला थाना तथा फायर स्टेशन व अन्य सम्बद्ध कार्यालय को वाल्मीकि मार्ग स्थिति महानिदेशक, कारागार कार्यालय व आवासीय भवन में तथा महानिदेशक, कारागार कार्यालय को पिकप भवन स्थिति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय भवन में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन व अन्य सम्बद्ध कार्यालय की भूमि पर आवास विभाग/लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग का निर्माण किया जायेगा। मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति उपाध्यक्ष, लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गई। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि मा. उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्याः 2102(एमबी)/1997 श्री वी.के. सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी.एच. कैनाल पर 6 लेन एक्सप्रेस–वे निर्मित करने के आदेश दिये गये हैं। उपाध्यक्ष द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गई। इसके साथ ही साथ शासन तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य इस सम्बन्ध में किये गये पत्राचार की फोटो प्रतियां भी उपलब्ध करायी गयी। प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्रेषित उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा के दिनांक 23.08.2003 के पत्र

२८

द्वारा मा0 आवास एवं नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जी.एच. कैनाल पर एक्सप्रेस हाई–वे के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने का ड्राफ्ट संलग्न करते हुए मार्ग दर्शन मांगा गया था, जिस पर सचिव, नगर विकास के पत्र दिनांक 01.10.2003 के द्वारा इस सम्बन्ध में आपेक्षित कार्यवाही आवास विभाग द्वारा किये जाने की सूचना दी गयी। पुनः उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा सचिव, नगर विकास को प्रेषित दिनांक 17.11.2005 के पत्र के माध्यम से जी.एच. कैनाल के एक प्रखण्ड पर सड़क निर्माण हेतु रु0 30.00 करोड़ के व्ययानुमान की सूचना दी गयी एवं यह धनराशि जे.एन.एन. आर.यू.एम. से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

2. इसे दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हजरतगंज पार्किंग तथा जी.एच. कैनाल पर प्रथम चरण में चारबाग–मवैया से कालीदास मार्ग तक 6 लेन सड़क निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया है। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि दिनॉक 07.08.2007 को मंत्रिमण्डलीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह अपेक्षा की गई थी कि नगर की अवस्थापना विकास के कार्यो का क्रियान्वयन पी.पी.पी. माडल पर कराया जाये। इसी क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त दो परियोजनाओं के लिंए कन्सलटेन्ट नियुक्त करने तथा उसके साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.वी. गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि शासन के मार्ग–दर्शक सिद्धान्त में प्रारम्भिक 'टर्म आफ रिफरेन्स' पर मंत्रिमण्डल की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त 'इक्प्रेशन आफ इन्ट्रेस्ट' आमंत्रित किया ज़ाना निर्धारित है। उन्होंने अवगत कराया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से अपेक्षा की गई है कि एक माह के अन्दर परियोजना पर कार्य सुनिश्चित किया जाये। इस कारण' गाइडलाइन्स के अनुरूप समय बचाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के सूचीबद्ध कन्सल्टेन्ट को ई.ओ.आई द्वारा शार्टलिस्टेड मानते हुए उन्हें आर.एफ.पी. प्रेषित करने एवं तद्नुसार कन्सलटेन्ट का चयन करने का प्रस्ताव है, कन्सलटेन्ट का चयन करने एवं उसके साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस. पी.वी. गठित करने हेतु यथाशीघ्र सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा यह बताया गया कि सचिव, शहरी समग्र विकास विभाग द्वारा उन्हें यह बताया गया है कि लखनऊ नगर में अर्बन रिजनरेशन तथा अवस्थापना विकास के सम्बन्ध में शहरी समग्र विकास विभाग द्वारा आई.डी.एफ.सी.–फीडबैक वेंचर को जो कार्य सौंपा गया है उसके अनुसार उनके द्वारा पहले परियोजना के चिन्हींकरण तक का ही कार्य किया जायेगा, उसके उपरान्त ही आगे की कार्यवाही उनके टी.ओर.आर. के अधीन की जायेगी। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि क्योंकि हजरतगंज पार्किंग तथा जी.एच. कैनाल सड़क परियोजनाओं का चिन्हींकरण हो चुका है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को उसके क्रियान्वयन हेतु निर्देशित

किया जा चुका है, अतः इन परियोजनाओं के पी.पी.पी. पर क्रियान्वयन हेतु आगे की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट हेतु कन्सलटेन्ट का चयन किया जाना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया गया कि पी.पी.पी. गाइडलाइन्स के अन्तर्गत ई.ओ.आई./आर.एफ.पी. से पूर्व की शासन की सैद्धान्तिक सहमति की अनिवार्यता से छूट उपलब्ध करायी जाये।

4. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया कि चारबाग–मवैया से कालीदास मार्ग तक 4.98 किमी में जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्माण की परियोजना जे.एन.एन.यू.आर.एम. में स्वीकृत कराने के लिए रीजनल सेन्टर फार अर्बन एण्ड इनवायरन्मेटल स्टडीज से डी.पी.आर. तैयार कराकर परीक्षण हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजा गया है। वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार इस तथ्य का परीक्षण किया गया एवं यह मत स्थिर हुआ कि गाइड लाइन लागू होने की तिथि से पूर्व कन्सल्टेन्ट के चयन के सम्बन्ध की गयी कार्यवाही में कोई आपत्ति नही है।

5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विस्तार से विचार–विमर्श किया गया एवं उपरोक्त प्रस्तर–3 में अंकित assumptions के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गई मा. मुख्यमंत्री जी की बैठक का कार्यवृत्त तथा जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्माण हेतु मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण व शासन के मध्य किये गये पत्राचार की प्रति पत्रावली पर रखी जाये। इन अभिलेखों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से ई.ओ.आई./आर.एफ. पी. आमंत्रित करने से पूर्व सैद्धान्तिक अनुमोदन की बाध्यता से छूट प्रदान किया जाना उचित है। तथापि आर.एफ.पी. जारी करने के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा यथाशीघ्र मा. मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
2. परियोजना को वरीयता पर प्रारम्भ करने तथा समय बचाने के उद्देश्य से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के मार्ग–दर्शक सिद्धान्त के चैप्टर–2 के बिन्दु सं0–6 के अनुरूप भारत सरकार के सूचीबद्ध कन्सल्टेन्ट के मध्य आर.एफ.पी. प्रेषित करते हुए उक्त के आधार पर कन्सल्टेन्ट के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। कन्सलटेन्ट के चयन हेतु टी.ओ.आर. में कन्सलटेन्ट के साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.बी. गठन पर भी इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी कि टी.ओ.आर पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त कर लिया जाय।
3. यदि भविष्य में हजरतगंज पार्किंग, जी.एच कैनाल पर सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के लिये भी पी.पी.पी. के माध्यम से क्रियान्वयन का 'मेनडेट' लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिलता है तो

३८

उपरोक्तानुसार चयनित प्रोजेक्ट डेवलमेन्ट कन्सल्टेन्ट पार्टनर के साथ गठित किये जाने वाले प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.वी. के माध्यम से प्रोजेक्ट विकास किया जा सके, ऐसा प्राविधान टी.ओ.आर. में रख लिया जाये।

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष

कार्यालयः उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांकः 7(2)/100 पीपीपी/अ.वि.–ह.पा.–(प्रो.यू.–2)/07 दिनॉकः 21 सितम्बर, 07

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
2. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग/अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ.प्र. शासन।
3. विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष

दिनांक 24.08.2007 को हजरतगंज पार्किंग तथा जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्माण की परियोजना पी.पी.पी. माडल के आधार पर क्रियान्वित करने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कन्सल्टेन्सी ईवैल्यूऐशन कमेटी (सी.ई.सी.) की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1. श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सचिव, औद्योगिक विकास/अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
2. श्री नीतीश्वर कुमार, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री आर.एन. उपाध्याय, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, उप शासकीय हस्तान्तरण न्याय विभाग।
5. श्री हरभजन सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 23 अगस्त, 2007 की डी.आर.सी. की बैठक हेतु प्रेषित विषय–वस्तु के साथ आर.एफ.पी. का आलेख भी प्रसारित किया गया था। सी.ई.सी. की उक्त बैठक में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हजरतगंज पार्किंग, जी.एच. कैनाल पर 6 लेन सड़क निर्माण तथा नगर के अवस्थापना विकास के सम्बन्ध में प्राधिकरण को 'मेनेडेटेड' की जाने वाली अन्य अवस्थापना परियोजनाओं के लिए कन्सलटेन्ट के चयन तथा चयनित कन्सलटेन्ट के साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.वी. बनाने हेतु आर.एफ.पी. का आलेख प्रस्तुत किया गया। ,उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर तक पी.पी.पी. के आधार पर प्रस्तावित राजमार्ग हेतु कन्सलटेन्ट चयन एवं प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.वी. बनाने के सम्बन्ध में पिकप द्वारा तैयार किये गये आर.एफ.पी. के आधार पर इन परियोजनाओं हेतु आर.एफ.पी. का आलेख तैयार किया गया है। प्रस्तुत आर.एफ.पी. का आलेख संलग्न है। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत परियोजनाओं की लागत एवं आकार के दृष्टिगत इनके लिए नगर विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के कन्सलटेन्ट का चयन पर्याप्त होगा।

2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आर.एफ.पी. के आलेख पर विचार–विमर्श किया गया एवं निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गयाः–

1. आर.एफ.पी. हेतु प्रकाशित की जाने वाली सूचना के प्रथम प्रस्तर एवं द्वितीय प्रस्तर में तथा आर.एफ.पी. के आलेख के बिन्दु संख्या–1 (बैकग्राउन्ड) में, शीर्षक 'प्रोजेक्ट' के बिन्दु–सी में तथा बिन्दु संख्या 4.12 में other urban rejuvenation projects के साथ 'as mandated to LDA' जोड़ा जाये।

2. आर.एफ.पी. के आलेख के बिन्दु संख्या 5.1.1 में रु0 500 करोड़ की कुल परियोजना लागत के अनुभव तथा रु0 100 करोड़ के लागत की सम्बन्धित परियोजना के अनुभव के साथ 'during last three years' जोड़ा जाये।

3. आर.एफ.पी. के आलेख के बिन्दु संख्या 5.1.2 तथा 5.1.4, जिसके द्वारा क्रमशः 'institutional arrangements' तथा 'cummulative committed contribution for finanncing project development activity with GoI/ State Govt agencies/PSUs' की शर्त प्रस्तावित की गई है, को हटा दिया जाये, जिससे अधिक से अधिक कन्सलटेन्ट आफर देने हेतु अर्हय हो सकें एवं प्रतिस्पर्धात्मक आफर प्राप्त हो सके।

4. सक्सेस फीस – परियोजना में पी.डी.एस.पी.वी. द्वारा किये गये कुल व्यय को सक्सेस फीस के रूप में रखा जाये।

5. ड्राप डेट फीस – परियोजना में किये गये कुल व्यय में अद्यतन व्याज तथा सक्सेस फीस का 10 प्रतिशत धनराशि जोड़कर जो धनराशि आये वह वह ड्राप डेट फीस के रूप में निर्धारित किया जाये।

6. Evaluation Criteria के बिन्दु संख्या 7.2 में निम्नानुसार marks रखा जायेः–

Sl. No	Criteria	Weightage (percentage)	Total marks	Marking system
1	Project Development Experience (para 5.1.1)	15	15	For every Rs.50 Cr. worth of projects developed – 1 mark
2.	Institutional arrangement	05	05	For each institutional with State Governments/GoI/Agencies/PSUs (para 5.1.2) arrangements – 1 mark
3.	Operationalization of SPVs with State Governments /GoI/ their Agencies/PSUs (para 5.1.3)	10	10	For every SPV operationalized -1 mark
4.	**Cumulative actual contribution** to PDFs (para 5.1.4)	10	10	For every Rs.2 Crores contributed to PDF– 2 mark
5.	Successful selection of Project Developers through PPP (para 5.1.5)	30	30	For every successful selection of project developer –1 mark (maximum 10 marks) - For every Rs.10 Cr. worth of project cost – 1 mark (maximum 20 marks)

6.	Annual Turn over (para 5.2.1)	15	15	For every Rs. 2 Cr. of turn over – 1 mark
7.	Net worth (para 5.2.2)	15	15	For very Rs.1 Cr. of net worth – 1 mark

7. कन्सार्सियम – कन्सार्सियम के अधिकतम तीन सदस्य होंगे। यह भी प्राविधान किया जाये कि कन्सार्सियम में लीड मेम्बर का हिस्सा न्यूनतम 51 प्रतिशत होना चाहिए।

8. पी.डी.एस.पी.वी. द्वारा परियोजना की आवश्यकता के दृष्टिगत विशेषज्ञ की सेवाएं ली जा सकती हैं, इसका प्राविधान किया जाये।

9. प्रस्तावित परियोजनाओं की लागत एवं आकार के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर के कंसलटेन्ट के मध्य उपयुक्त कन्सलटेन्ट का चयन किया जाना प्रस्तावित है, अतः गाइडलाइंस के अनुरूप तीन सप्ताह का समय निर्धारित करते हुए आर.एफ.पी. के अनुसार नगर विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के कन्सलटेन्ट के चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाये एवं तदनुसार आर.एफ.पी. के बिन्दु संख्या 14 में प्री–बिड कान्फ्रेन्स हेतु दिनॉक 06.09.2007, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु दिनॉक 18.09.2007, टेक्निकल बिड खोलने हेतु दिनॉक 18.09.2007, उनके मूल्यांकन हेतु दिनॉक 22.09.2007 तथा वित्तीय बिड खोलने हेतु दिनॉक 24.09.2007 की तिथियॉ निर्धारित की जायें।

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष

कार्यालयः उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांकः 7(3)/100 पीपीपी/अ.वि.–ह.पा.–(प्रो.यू.–2)/07 दिनॉकः 21 सितम्बर, 07

<u>प्रतिलिपिः</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग/अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ.प्र. शासन।
2. विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
4. उपशासकीय हस्तातरण, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष

विषय संख्या:- 9

विषय: लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में विकासकर्ता कम्पनी/वास्तुविद/नगर नियोजकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार कतिपय संशोधनों पर विचार।

लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को वर्तमान बदलते हुए परिवेश में प्रभावी बनाने हेतु लखनऊ विकास क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित जोनिंग रेगुलेशन्स तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में आवश्यक परिष्कारों सहित सुझाव प्राप्त करने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.08.2007 को लखनऊ तथा देश के अन्य हिस्सों के ख्याति प्राप्त विकासकर्ता कम्पनियों के साथ एक बैठक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में आयोजित की गयी थी। बैठक में यू0पी0 रेडको एवं एल्डिको के अध्यक्ष, मे0 यूनिटेक, मे0 रोहताश प्राजेक्ट, मे0 सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0, मे0 एस्ट्रो-वास्तु रिसर्च फाउण्डेशन, मे0 ईमार एम.जी.एफ लैण्ड प्रा0लि0, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, मे0 अंसल हाउसिंग एण्ड कान्स0 लि0, मे0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0 आदि विकासकर्ता कम्पनी के प्रतिनिधियों ने जोनिंग रेगुलेशन एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 के संशोधन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इसके पश्चात दिनांक 16.08.2007 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उ0प्र0 आर्कीटेक्टस एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ बैठक आमंत्रित कर जोनिंग रेगुलेशन्स तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 पर चर्चा की। उनके द्वारा भी उक्त उपविधि मे यथा आवश्यक संशोधन पर कई सुझाव दिये गये।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता कम्पनियों तथा आर्कीटेक्टस के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया गया है ताकि समय-समय पर नगर के सुनियोजित विकास पर आवश्यक चर्चा हो तथा आधुनिक तकनीक को अपना कर नगर के विकास में उत्पन्न हो रही बाधाओं को दूर कराकर विकास को सही गति एवं दिशा प्रदान करने में आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकें। इसी के अनुक्रम में दिनांक 12.09.2007 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की बैठक लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें समिति के समस्त सदस्यों के अतिरिक्त ख्याति प्राप्त विकासकर्ता कम्पनी, वास्तुविद तथा वरिष्ठ नगर नियोजकों को आमंत्रित किया गया जिसमें मुम्बई, दिल्ली, जयपुर तथा प्रदेश के अन्य प्रान्तों से भी विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक के अतिरिक्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 तथा स्थानीय मीडिया के लोगों ने भी प्रतिभाग किया। उपस्थित समस्त सदस्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की दिन-प्रतिदिन विकास कार्यो हेतु उपलब्ध होने वाली भूमि की कमी तथा दर बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि

उपलब्ध भूमि का सदुपयोग तथा अधिकाधिक उपयोग हो। यातायात एवं परिवहन में हो रही तीव्र गति की बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत पार्किग, विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमन्य किये जानें वाले क्रियाएं आदि का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक परिष्कार जोनिंग रेगुलेशन्स तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्रस्तावित किया जाय। बैठक में उपस्थित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इस बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 में आवश्यक परिष्कार शासन स्तर से सम्पन्न करायें जायेगें। बैठक में दिये गये सुझावों के अनुसार कुछ प्रस्ताव ऐसे है जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर से परिष्कृत किये जा सकते है और कुछ प्रस्ताव बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात शासन के अनुमोदन से क्रियान्वित किये जा सकते है। इसी के अनुरूप बोर्ड के समक्ष निम्न प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव:

अ. लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर अनुमोदित किये जाने वाले प्रस्ताव।

प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कालोनियों में मुख्य मार्ग के किनारे-किनारे प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों में व्यवसायिक गतिविधियाँ आरम्भ हो गयी है/हो रही हैं तथा यह विकास "बाजार स्ट्रीट" के रूप में विकसित हुई है/हो रहीं हैं। अलीगंज, महानगर आदि पुराने विकसित कालोनियों में इस प्रकार का विकास देखा जा सकता है। यह भले ही अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी मे आता है तथा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अधीन विधिक कार्यवाही भी की जाती है लेकिन विकास की दृष्टि से तथा माननीय न्यायालयों में इसके सम्बन्ध में दायर वादों के कारण अत्यधिक समय व्यतीत होने से एक असमन्जस की स्थिति बनी रहती है। आवासीय भू-उपयोग में अनुमन्य क्रियाएं नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में इसलिए लागू नही होते है कि नियोजित कालोनी में पहले से ही आवश्यक सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य व्यवस्थाओं का प्राविधान किया जाता है। लेकिन वास्तव में मुख्य मार्गो के किनारे-किनारे भूमि की कीमत तथा लोकेशनल एडवान्टेज के कारण व्यवसायिक गतिविधियाँ आरम्भ हो जाती है जिसे रोकना व्यवहारिक दृष्टि से अत्यन्त कठिन कार्य होता है।

अत: यह प्रस्ताव है कि प्राधिकरण द्वारा नियोजित/विकसित कालोनियों में भी दिनांक 31.03.2007 तक निर्मित भवनों में शमन हेतु महायोजना-2021 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अन्य क्रियाओं को अनुमन्य किया जाय, लेकिन जो क्रियायें/उपयोग अनुमन्य की जायेगी उस क्रिया/उपयोग हेतु अपेक्षित समस्त नियमों का पालन करना होगा तथा पहुच मार्ग न्यूनतम 18 मीटर या उससे अधिक होना आवश्यक होगा, ताकि अवस्थापना सुविधाओं तथा यातायात भार व पार्किंग पर कुप्रभाव न पड़े तथा विकास की दिशा को भी गति प्राप्त हो सके। इस प्रकार अनुमन्य किये जाने वाले क्रियाओं की स्वीकृति विशेष अनुमति से ही दी जाय तथा अनुमति के समय यह सुनिश्चित किया जाय

T. B.

कि रिहायशी वातावरण पर अनुमन्य किये जाने वाले क्रिया से कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

ब. लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर अनुमोदित किये जाने के पश्चात शासन की अनुमति से नियमों में सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

1. लखनऊ महायोजना-2021 में लो राइज एवं हाई राइज का कान्सेप्ट अपनाया गया है। वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों में तीन मन्जिल निर्माण अनुमन्य है जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 12.5 मीटर तथा स्टिल्ट के बिना 10.00 मीटर अनुमन्य है। इस प्राविधान में समुचित पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण शहर की इतनी महगी भूमि का पूर्ण उपयोग नही हो पा रहा है।

   प्रस्ताव है कि मंजिलों की अधिकतम संख्या तीन ही निर्धारित करते हुए ऊँचाई का प्रतिबंध समाप्त किया जाय।

2. वर्तमान में लखनऊ विकास क्षेत्र मे विभिन्न नियोजित/विकसित/स्वीकृत आवासीय कालोनियों में प्रभार रहित/ प्रभार सहित इकाईयों की अनुमन्यता उपयुक्त क्षेत्रों के चिन्हींकरण के अभाव में स्थगित है। प्राधिकरण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में पुरानी योजनाएं जैसे-महानगर, निराला नगर एवं न्यू हैदराबाद में उपरोक्त प्रस्ताव अनुमन्य किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसपर बोर्ड द्वारा अनुमोदन भी प्रदान किया गया है। उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के पत्र संख्या-93/सी.टी.पी./07 दिनांक 06.09.2007 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नही हुआ है। इस प्रकार भवनों का वर्टिकल विस्तार न होने के कारण भू-मूल्य में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है।

   प्रस्ताव है कि भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा नियोजित/ विकसित एवं स्वीकृत समस्त योजनाओं में 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों में प्रभार रहित एवं प्रभारी सहित ईकाईयों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधान के अनुसार अनुमन्य किया जाये तथा ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु 2000 से 4000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड में 15.00 मीटर ऊँचाई का प्रतिबंध समाप्त करते हुए अनुमन्य एफ.ए.आर. व क्रय योग्य एफ.ए.आर. के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा वॉछित मंजिलों की संख्या अनुमन्य किया जाय।

3. वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार 100 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय भूखण्डों में रियर सेटबैक के 40 प्रतिशत भाग पर 7.00 मीटर ऊँचाई तक भी निर्माण अनुमन्य है। तीन से अधिक इकाईयों के निर्माण की दशा में भूखण्ड के रियर सेटबैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य किये जाने से अगल-बगल के भवनों में सम्वातन प्रभावित होता है।

C.T.P.

प्रस्ताव है कि तीन से अधिक आवासीय ईकाईयों के अनुमन्य किये जाने की दशा में रियर सेटबैक के 40 प्रतिशत भाग पर कोई भी निर्माण अनुमन्य नही होगा।

4. वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत स्टिल्ट फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नही है, जिससे भवन स्वामियों को पर्याप्त वाहन पार्किंग सुविधा न मिल पाने के कारण सामने की सड़को पर गाड़ियाँ खड़ी करने से आवागमन बाधित होता है।

प्रस्ताव है कि भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत भी स्टिल्ट फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा। बशर्ते की बेसमेन्ट में मेकैनिकल सम्वातन की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

5. वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक के ही भूखण्डों मे बिल्डिंग एनवेलप लाइन तक बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य है, जिससे इन भूखण्डों में पर्याप्त बेसमेन्ट न होने के कारण पार्किंग समस्या बनी रहती है।

प्रस्ताव है कि समस्त आकार के आवासीय भूखण्डों में बेसमेन्ट का निर्माण एक पार्श्व की तरफ सेटबैक लाइन तक तथा अन्य तीन तरफ सम्पत्ति लाइन से 2.00 मीटर दूरी पर अनुमन्य होगा। व्यवसायिक भूखण्डों में बेसमेन्ट बगल एवं पीछे की सम्पत्तियों से न्यूनतम् 2.00 मीटर की दूरी के पश्चात सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर अनुमन्य होगा।

6. वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार **''बाजार स्ट्रीट''** में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नही हैं, जिससे बाजार के सामने के मुख्य मार्गो पर वाहन पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

प्रस्ताव है कि **''बाजार स्ट्रीट''** में भी बेसमेन्ट बगल एवं पीछे की सम्पत्तियों से न्यूनतम् 2.00 मीटर दूरी पर अनुमन्य होगा।

7. वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार **''बाजार स्ट्रीट''** में 40 प्रतिशत भू-आच्छादन व 1.20 एफ.ए.आर. ही अनुमन्य है, जिससे व्यवसायिक भू-मूल्य में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ भूमि का अधिकतम उपयोग नही हो पा रहा है।

प्रस्ताव है कि **''बाजार स्ट्रीट''** में निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत 40 प्रतिशत भू-आच्छादन व 1.20 एफ.ए.आर. तथा अनिर्मित क्षेत्रों में 40 प्रतिशत भू-आच्छादन व 2.00 एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।

8. वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार **''बाजार स्ट्रीट''** में भवन की ऊँचाई अधिकतम् 12.5 मीटर ही अनुमन्य है, जिससे भू-आच्छादन अधिक होने की सम्भावना होती है।

प्रस्ताव है कि **''बाजार स्ट्रीट''** में भवन ऊँचाई की सीमा समाप्त करते हुए निर्मित क्षेत्र/अनिर्मित क्षेत्र में अधिकतम् भवन ऊँचाई एफ.ए.आर. के अनुसार निर्धारित की जाये।

9. वर्तमान में लागू महायोजना-2021 में अनिर्मित/अविकसित क्षेत्रों हेतु अधिकतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर निर्धारित है, जिससे कम आवासीय इकाईयों का निर्माण होने के कारण भू-मूल्य में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है।

प्रस्ताव है कि शहर में भूमि की कीमत में निरन्तर हो रही बढ़ोत्तरी, भूमि की अधिकतम उपयोग एवं सड़को तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विस्तारीकरण की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए अनिर्मित/अविकसित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की उपरोक्त सीमा को बढ़ाकर 2000 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर किया जाय।

10. वर्तमान में लागू नियमो के अनुसार एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही प्रतिबन्धित है, जिससे एक भी भवन स्वामी के एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर नियमों के अन्तर्गत सेटबैक इत्यादि छोड़ने के पश्चात भी न तो भवन मानचित्र स्वीकृत किया जाता है और न ही शमन कार्यवाही हो पाती है।

प्रस्ताव है कि उपरोक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाय।

मु० न० नि०
न०नि०प्रा०

समिति का गठन किया जाये
गठन आवश्यक द्वारा किया जायेगा

विषय संख्या:- 10

विषय: **लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्मित किये जाने वाले रिहायशी इकाईयों का घनत्व 500 रिहायशी इकाईयाँ प्रति हेक्टेअर अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

लखनऊ विकास प्राधिकरण के दायित्वों मे शहर के सुनियोजित विकास के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गो को आवास उपलब्ध कराने का दायित्व भी सम्मिलित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्बल वर्ग आवासीय योजना/पुर्नवास योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु 10,000 भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष 2003 में डूडा द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ नगर क्षेत्र में कुल 530 मलिन बस्तियाँ चिन्हित की गयी थी जिमसे लगभग 6.72 लाख की जनसंख्या निवास कर रही है। शहरी विकास के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को अच्छे वातावरण में बसा कर मूलभूत सुविधाएं यथा पेयजल, सीवरेज, बिजली, पार्क, खुले स्थल आदि उपलब्ध कराया जाना है।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत दूर्बल आय वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करानें के लिए प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण ,अध्ययन केन्द्र के माध्यम से परियोजना तैयार करायी गयी है, जिसमें उपरोक्त 10,000 हजार भवनों का निर्माण करया जायेगा। यह योजना प्रदेश सरकार से संस्तुत होने के बाद केन्द्र सरकार से स्वीकृत हो गयी है। इस योजना की लागत रू0 —— करोड़ है, जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। इसी क्रम में एक अन्य प्रोजेक्ट तैयार कराया जा रहा है जिसमें लखनऊ के मलिन बस्तियों को वहीं पर पुर्नवासित करने के उद्देश्य से मकान बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में समस्त मूलभूत सुविधाओं सहित भवनों के निर्माण हेतु क्षेत्रों का चयन इस प्रकार किया जा रहा है कि मलिन बस्तियों से विस्थापितों/आवंटियों को अपने कार्यक्षेत्र से अधिक दूरी तय न करनी पड़े व अवस्थापना सम्बन्धी समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत सरकार से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 8896 दूर्बल आय वर्ग के आवासीय इकाईयों की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा शीघ्र ही मौके पर कार्य आरम्भ होगा।

चिन्हित किये गये स्थलों में भूखण्ड का साइज 16 रिहायसी इकाईयों के लिए एक ब्लाक के निमित्त 156.89 वर्ग मीटर रखा गया है, जिसमें एक रिहायशी यूनिट

का क्षेत्रफल 30.68 वर्ग मीटर रखा गया है। इस रिहायशी यूनिट में दो कमरे, रसोई घर, डब्लू.सी./बाथरूम, बालकनी आदि का प्राविधान किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त भवनों के निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है। जमींन की उपलब्धता तथा कीमतों के दृष्टिगत जमींन को अत्यधिक उपयोग में लाया जाना आवश्यक है। लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार ग्रुप हाउसिंग हेतु अधिकतम् 175 आवासीय ईकाई प्रति हेक्टेअर अनुमन्य किया गया है परन्तु निर्बल वर्ग आवास हेतु महायोजना के अन्तर्गत अलग से कोई नीति निर्धारित नही की गयी है, जबकि दिल्ली में 600 आवासीय इकाईयाँ (प्रत्येक आवासीय ईकाई 30 वर्ग मीटर तक), 30 वर्ग मीटर से 40 वर्ग मीटर तक के श्रेणी की ईकाई के लिए 500 आवासीय यूनिट प्रति हेक्टेअर अनुमन्य की गयी है। अत: यह आवश्यक है कि भूमि के अधिक से अधिक सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्बल वर्ग हेतु बहुखण्डीय भवन बनाये जाने की स्वीकृति दी जाये व अन्य महानगरों की तरह लखनऊ हेतु भी एक सीमा निर्धारित करते हुए दिल्ली की तर्ज पर 600 आवासीय इकाईयाँ प्रति हेक्टेअर बनाये जाने की स्वीकृति दी जाये। निर्मित किये जाने वाले बहुखण्डीय भवनों की योजनाओं में महायोजना में प्रस्तावित 3000 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर मानक की स्वीकृति दी जाये तभी मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को इन आवासीय कालोनियों में पुर्नवास की व्यवस्था किया जाना सम्भव हो पायेगा तथा उपलब्ध भूमि का अत्यधिक उपयोग किया जा सकेगा।

प्रस्ताव:

प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले दूर्बल आय वर्ग के बहुखण्डीय भवनों मे 150 से 175 आवासीय इकाईयॉ प्रति हेक्टेअर के स्थान पर 600 आवासीय ईकाईयॉ प्रति हेक्टेअर निर्माण किंये जाने तथा महायोजना में प्रस्तावित 3000 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर मानक का सरलीकरण किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

C.T.P.

~~इसे समिति का गठन कर लिया जाय~~

~~समिति का गठन~~ उपाध्यक्ष द्वारा

~~किया जायेगा~~

इसे पारित घोषित करें। किया जाय

विषय संख्या - 11.

विषय : ताज रेजीडेन्सी के पीछे पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि तथा ग्राम औरंगाबाद खालसा में शहीद पथ के दक्षिण में उपलब्ध 10 बीघा 5 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग में अवस्थित है। पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि पर अतिथि गृह का निर्माण किये जाने तथा प्रश्नगत औरंगाबाद खालसा में उपलब्ध भूमि को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने जाने के सम्बन्ध में।

1. शासनादेश संख्या 3503/आठ-1-07-31विविध/2007 दिनांक 09.08.07 के बिन्दु संख्या-13 में डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में आने वाले विशिष्ट महानुभावों के रूकने हेतु स्थल के सम्मुख डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस चौकी के बगल में छोटा अतिथि गृह का निर्माण करने के प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ताज रेजीडेन्सी को पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 25 एकड़ भूमि मेन्टीनेंस के लिए दिया गया था, जिसमें से प्रस्तावित अतिथि गृह के लिए होटल ताज रेजीडेन्सी के पीछे पुलिस चौकी के बगल में भूमि उपलब्ध कराने हेतु होटल ताज रेजीडेन्सी द्वारा सहमति दी गई है, परन्तु प्रश्नगत भूमि महायोजना में पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है।

2. राधा खण्ड में मैदान को विकसित करने के उद्देश्य से रैली स्थल के अन्दर आने वाली निजी भूमि का समायोजन समझौते के आधार पर श्रीमती परमेश्वरी शर्मा पत्नी श्री के0डी0 शर्मा, श्री झब्बू लाल पुत्र श्री धन्नू, श्री मेवा लाल पुत्र श्री लक्ष्मण तथा श्री दया राम फौजी पुत्र श्री सालिग राम जिनके रकबे क्रमशः 0.693, 0.3750, .1500, .0126, खसरा संख्या 1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093 तथा 1095 स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा में किया गया। लखनऊ महायोजना 2021 के अनुसार उक्त भूमि पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है। चूंकि जिन लोगों की आवासीय भू-उपयोग की भूमि ली गयी है इसलिए इन्हें आवासीय भूमि दिया जाना आवश्यक है।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत भूखण्डों से लगे हुए खसरा संख्या 1094, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354 तथा 1359 भी प्राधिकरण की अर्जित भूमि है, जो पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है। इस भूमि का भू-उपयोग भी नियोजन की दृष्टि से आवासीय होना आवश्यक है।

नियोजक
प्राधिकरण
लखनऊ

3. शासनादेश संख्या 1060/9–आ–3–1996–12विविध/1996 दिनांक 21.03.96 के प्रस्तर–3 में यह स्पष्ट किया गया है कि हरित पट्टी के भू–उपयोग को हतोत्साहित किया जायेगा। हरित पट्टी भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव किसी भी अभिकरण द्वारा तभी भेजा जाये जब उतनी ही किसी अन्य उपयोग की भूमिं का हरित पट्टी भू–उपयोग में परिवर्तन किया जा रहा हो। हरित पट्टी नगरों में पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा जितनी हरित पट्टी परिवर्तित करना हो, उतनी क्षेत्र अन्यत्र महायोजना के किसी अन्य भू–उपयोग से हरित पट्टी में परिवर्तित कर बढ़ाये जाने से प्रस्तावित हरित पट्टी के कुल क्षेत्र में कमी नहीं होगी।

<u>प्रस्ताव :</u>

प्रस्ताव है कि (1) ताज रेजीडेन्सी के पीछे पुलिस चौकी के बगल में स्थित प्रश्नगत दो एकड़ भूमि जो कि लखनऊ महायोजना 2021 के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है, को सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं (अतिथि गृह) के भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।

(2) ग्राम औरंगाबाद खालसा में स्थित खसरा संख्या 1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1095, 1094, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354 तथा 1359 जिनकी कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा 18 बिस्वांसी है, जो कि लखनऊ महायोजना 2021 के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है, को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।

उक्त दोनों भू–उपयोग परिवर्तनों से कम होने वाली हरित पट्टी के कुल क्षेत्रफल को ग्राम औरंगाबाद खालसा मजरा ख्वाजापुर में लखनऊ महायोजना 2021 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में स्थित खसरा संख्या 1356(पी), 1350(पी), 1379, 1380, 1381, 1382, 1378(पी), 1383, 1384(पी), 1431, 1429, 1430, 1428, 1433, 1426, 1427, 1425, 1424, 1422 तथा 1423 जिनका कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा 17 बिस्वांसी है, को पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति पर विचार, ताकि पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्रफल में कमी न हो।

संख्याः 1060/9-आ-3-1996-12विविध/1996

प्रेषक,

श्री अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव, आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 1996

आवास अनुभाग-3

विषय : भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1026/9-आ-3-96 दिनांक 11 मार्च, 1996 द्वारा महायोजना में
भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन पर परिवर्तित शुल्क/प्रीमियम लिये जाने के बारे में कुछ नीति विषयक निर्देश दिये गये हैं।
उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 1996 में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा जिज्ञासायें की गयी हैं जिनको स्पष्ट किया
जाना आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में किसी भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन एक
अप्रत्याशित कार्यवाही है जिसे अपवाद स्वरूप ही किया जाता है। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास
अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत किया जाता है तथा इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही भू-उपयोग
परिवर्तन भविष्य में भी किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि भू-धारक को भू-उपयोग परिवर्तन का कोई अधिकार
इन शासनादेशों के द्वारा नहीं दिया गया है। शासनादेश में केवल यह इंगित किया गया है कि यदि भू-उपयोग निर्धारित प्रक्रिया
के अनुसार बदला जाता है तो प्रीमियम किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हरित पट्टी के भू-उपयोग परिवर्तन को जितना सम्भव हो हतोत्साहित किया जायेगा।
हरित पट्टी भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव किसी भी अभिकरण द्वारा तभी भेजा जाय जब उतनी ही किसी अन्य
उपयोग की भूमि का हरित पट्टी में भू-उपयोग में परिवर्तन किया जा रहा हो।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि किसी प्रार्थी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन अथवा विकास प्राधिकरण
को प्रार्थना-पत्र प्रेषित करते समय ही इस आशय की एक विधिक दृष्टि से मान्य (अन्डरटेकिंग) अनुबन्ध देना होगा कि
भू-उपयोग परिवर्तन हो जाने की दशा में वह आंकलित प्रीमियम धनराशि प्राधिकरण को तुरन्त भुगतान कर देगा। भू-उपयोग
परिवर्तन किये जाने के आशय की विज्ञप्ति भी प्रार्थी द्वारा इस प्रीमियम के भुगतान से प्रतिबन्धित होगी। भू-उपयोग
पुनर्निर्माण से खाली क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका उपयोग स्वतः बगैर किसी प्रीमियम के बदल जायेगा परन्तु

जिस भूमि का भू-धारक उपयोग कर चुका है, वहां पर उस उपयोग को मास्टर प्लान से इतर नान-कान्फार्मिंग भू-उपयोग माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति अथवा अभिकरण जो बिना प्रार्थना-पत्र के ऐसे भू-उपयोग परिवर्तन से लाभन्वित होंगे, उनसे यह प्रीमियम उस समय वसूल किया जायेगा जब वे अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तित करेंगे। यदि भू-उपयोग कर स्तर निम्न किया गया है तो उस उपयोग में भूखण्ड को परिवर्तित करने की भू-धारक की स्वेच्छा होगी।

शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 1996 में जो प्रीमियम की दरें निर्धारित की गयी हैं वह, जिस भू-उपयोग में परिवर्तन विचाराधीन है, के लिए अनुमन्य एफ.ए.आर. के लिए ही लागू होगी, जिसका उल्लेख भू-उपयोग परिवर्तन के समय अवश्य कर दिया जाय।

भू-उपयोग परिवर्तन के मामलों में गुणावगुण का विश्लेषण कर प्राधिकरण तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश का मत प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 1996 पर उपरोक्त स्पष्टीकरण के प्रकाश में कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

भवदीय,

अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव

विषय संख्याः- 12.

विषयः **डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस चौकी के बगल में अतिथि गृह का निर्माण, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल परिसर के बाहर, रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र का कार्य, तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान का लैण्ड स्केप तथा अन्य कार्यो हेतु मेसर्स आर्कीटेक्ट ब्यूरो, नई दिल्ली को कन्सलटेन्ट के रूप में की गयी नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

लखनऊ विकास प्राधिकरण में विशेष कार्यो के आर्कीटेक्चरल प्लानिंग, डिजाइन एवं इस्टीमेटिंग के कार्य बाहरी वास्तुविद से कराने के लिए आर्कीटेक्टस के पैनल का गठन किये जाने हेतु बाहरी वास्तुविद से आवेदन पत्र दिनांक 20 व 21 जून, 2007 तथा दिनांक 13.07.2007 को प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आफर आमंत्रित किये गये थे। प्रदेश एवं अन्य प्रान्तो के 49 वास्तुविदों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्कीटेक्टस इम्पैनलमेन्ट के लिए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया गया तथा निर्धारित मानकों के आधार पर 40 आर्कीटेक्टस को इम्पैनलमेन्ट में लिया गया है।

शासनादेश संख्या-3503/आठ-1-07-31विविध/07 दिनांक 09.08.2007 के बिन्दु संख्या-13 पर 1.) डा0 भीमराव अम्बेडकर समाजिक परिवर्तन स्थल में आने वाले विभिन्न आगन्तुकों के लिए स्थल के सम्मुख स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस चौकी के बगल में एक छोटा अतिथि गृह के निर्माण हेतु वास्तुविद विशेष का चयन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं किये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या-3677/आठ-1-07-55विविध/07टी.सी. दिनांक 31.08.07 द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर समाजिक परिवर्तन स्थल परिसर के बाहर के कार्यो तथा स्थल से सम्बन्धित अन्य कार्यो के लिए वास्तुविद विशेष का चयन ल0वि0प्रा0 द्वारा स्वयं किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत 2.) रमाबाई अम्बेडकर स्थल तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्र का कार्य भी सम्पादित किया जाना है। शासनादेश संख्या--3662/आठ-1-07-55विविध/2007टी.सी. दिनांक 24.08.2007 द्वारा 3.) डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान में मान्यवर कांशीराम जी व माननीया मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा स्थापित करने, लैण्ड स्केप का कार्य करने तथा अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु वास्तुविद का चयन ल0वि0प्रा0 द्वारा स्वयं किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

C.T.P.

डा0 भीमराव अम्बेडकर समाजिक परिवर्तन स्थल, पुस्तकालय एवं संग्रहालय, रमाबाई अम्बेडकर स्थल एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र तथा परिवर्तन चौक को दीर्घ कालीन स्थायित्व प्रदान किये जाने के उद्‌देश्य से निजी वास्तुविद के चयन हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा समाचार पत्रों मे सूचना प्रकाशित कर वास्तुविदों से आफर मॉगे गये थे। प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष वास्तुविदों द्वारा प्रस्तुतीकरण करने के उपरांत मे0 आर्कीटेक्ट ब्यूरो, नई दिल्ली को निर्माण निगम द्वारा चयनित किया गया। (इस कार्य हेतु शासन द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को निजी वास्तुविद की सेवा लेने हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है।)

प्रस्ताव:

निर्माण निगम द्वारा चयनित वास्तुविद मेसर्स आर्कीटेक्ट ब्यूरों द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर समाजिक परिवर्तन स्थल परिसर की ड्राइंग व डिजाइन सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। कार्य की विशेष प्रकृति एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के निकट होने तथा पूरे परिसर में एकरूपता लाने एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान के कार्य की श्रेणी भी डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले प्रश्नगत उक्त तीनों परियोजनाओं के आर्कीटेक्चरल ड्राइंग, लैण्ड स्केपिंग आदि का कार्य मे0 आर्कीटेक्ट ब्यूरो, नई दिल्ली से सम्पन्न कराये जाने का निर्णय प्राधिकरण स्तर से लिया गया है जो बोर्ड के सम्मुख अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

(CTP)

अवलोकित (निर्माण शर्मा)

विषय संख्या: **13.**

विषय: **राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर प्रस्तावित 60 मीटर सड़क की चौड़ाई को 30 मीटर (कैनाल की दायी ओर) किये जाने तथा कैनाल के दूसरी ओर (कैनाल के बांयी ओर) अवशेष 30 मीटर चौड़ी पट्टी की रोड कालीदास मार्ग से सदर क्रासिंग तक आवासीय, सदर क्रासिंग से मवैया तक व्यवसायिक तथा मवैया से राजाजीपुरम् तक आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।**

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दिनांक 13.08.2007 के मद संख्या-6 पर राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर प्रस्तावित 60 मीटर सड़क की चौड़ाई को 30 मीटर (कैनाल की दायी ओर) किये जाने तथा कैनाल की दूसरी ओर (कैनाल के बांयी ओर) अवशेष 30 मीटर चौड़ी पट्टी की रोड कालीदास मार्ग से सदर क्रासिंग तक आवासीय, सदर क्रासिंग से मवैया तक व्यवसायिक तथा मवैया से राजाजीपुरम् तक आवासीय में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृति के अनुपालन में नियमानुसार जनता से आपत्तियों एवं सुझावों का आमंत्रण दिनांक 22.08.2007 को हिन्दुस्तान टाइम्स तथा दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया था (प्रकाशन की कटिंग की प्रति संलग्न)। उक्त प्रकाशन में प्रश्नगत आपत्ति एवं सुझाव प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में प्रेषित किये जाने की सूचना दी गयी। उक्त सूचना के आधार पर प्राप्त 06 आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई का कार्य शासनादेश संख्या-4816(1)/9-8-3-2003-ल.महा./2002 दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 द्वारा गठित समिति की बैठक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2007 को गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन के मसउद हाल में सम्पन्न हुआ। समिति द्वारा निम्नांकित 06 आपत्तिकर्ताओं के आपत्ति एवं सुझाव पर विचार-विमर्श किया गया।

1. श्री पी.सी. मिश्रा, निवासी-हैदर कैनाल का किनारा, पुराना किला, लखनऊ
2. श्री अजय सिंह,प्रदेश अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी महासंघ, 51/57, उदयगंज रोड, लखनऊ।
3. श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, विधायक, 88 कैन्ट, लखनऊ।

...योजक
...धिकरण

4. श्री अचल मेहरोत्रा, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, लखनऊ,40, पुराना किला, लखनऊ।
5. श्री राम सेवक वर्मा, अध्यक्ष, नागरिक अधिकार संरक्षण मंच, 851, इन्द्रविहार, अलीगंज, लखनऊ।
6. श्री अरूण श्रीवास्तव, उ0प्र0 जन कल्याण समिति।

उपरोक्त समिति में श्री ओम प्रकाश पाठक, अपर जिलाधिकारी भू-अर्जन, (जिलाधिकारी के प्रतिनिधि) श्री हरवीर सिंह, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, श्री आर0पी0 कौशिक, वास्तुविद नियोजक (प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ), श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त (प्रतिनिधि मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ) एवं श्री वी0वी0एल0एन0 शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ उपस्थित थे। आपत्ति एवं सुझावकर्ताओं में से माननीय श्री सुरेश तिवारी, विधायक उपस्थित थे। उपरोक्त समस्त आपत्तियों पर विचारोपरांत समिति द्वारा सड़क की चौड़ाई 60 मीटर के स्थान पर 35 मीटर करते हुए शेष स्थान को आवासीय/व्यवसायिक, जैसा कि बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित है, के अनुसार किये जाने की संस्तुति की गयी है। बैठक दिनांक 26.09.2007 का कार्यवृत्त संलग्न है।

प्रस्ताव:

आपत्ति एवं सुनवाई समिति की बैठक दिनांक 26.09.2007 का कार्यवृत्त अवलोकन एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

<u>संलग्नक: उपरोक्तानुसार।</u>

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विषय संख्याः 14.

विषयः- गोमती नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के पक्ष में आवंटित 40 एकड़ भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक से संस्थागत (कार्यालय) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के नये भवन हेतु आवंटित 40 एकड़ (लगभग 1,62,934.42 वर्ग मीटर) भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक से संस्थागत (कार्यालय) में परिवर्तित करने हेतु शासन के पत्र संख्या-1387/सात-न्याय-9(बजट)-2006-837/93 दिनांक 12.04.2006 द्वारा आवेदन किया गया था। प्रश्नगत भूमि की चौहद्दी लखनऊ विकास प्राधिकरण के तलपट मानचित्र के अनुसार-उत्तर में फैजाबाद रोड, दक्षिण में इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान, पूरब में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-टीसीजी/1-ए-वी-2 एवं टीसीजी/1-ए-वी-3 विभूति खण्ड तथा पश्चिम में 24 मीटर चौड़ी सड़क है। प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक है।

गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कक्ष में बैठक हुई थी, जिसमें भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक से इन्स्टीट्यूशनल किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-सीएम-469/आठ-1-05-225एलडीए/05 दिनांक 10.08.05 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि ''माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के पक्ष में आवंटन पत्र शासन द्वारा बजट स्वीकृत की प्रत्याशा में निर्गत कर दिया जाय, चूंकि प्रश्नगत भूमि व्यवसायिक है। अतः उसे संस्थागत (कार्यालय) किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अतः भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराकर अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि बजट की व्यवस्था करायी जा सकें।'' (पत्र संलग्न)

प्रस्तावः-

शासन के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत 40 एकड़ भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक से संस्थागत (कार्यालय) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

पारित

प्रेषक

संख्या:1387/सात-न्याय-9(बजट)-2006-337/93

श्री ए०एन० मित्तल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड,लखनऊ ।

15 LUC/2006

न्याय अनुभाग-9(बजट)

लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल,2006

विषय: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ,लखनऊ के निर्माण हेतु गोमतीनगर में भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या:1041/प्र0आ0/बल्क सेल, दिनांक 11.08.2005 का संदर्भ लें जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय,लखनऊ खण्ड पीठ,लखनऊ के पक्ष में बजट स्वीकृति की प्रत्याशा मे आवंटन पत्र निर्गत किया गया है ।

चूँकि प्रश्नगत भूमि व्यावसायिक है अतः इसे संस्थागत किये जाने हेतु भू प्रयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी थी ।उक्त परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है ।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ,लखनऊ के भवन निर्माण हेतु उक्त भू प्रयोग परिवर्तन की कार्यवाही कर यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
/
(ए0एन0 मित्तल)
विशेष सचिव

संख्या:1387(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2006, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,इलाहाबाद
2. निबन्धक,उच्च न्यायालय,लखनऊ,खण्डपीठ,लखनऊ
3. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (अनु0-1) बापू भवन उ0प्र0 शासन,लखनऊ ।

आज्ञा से,
(ए0एन0 मित्तल)
विशेष सचिव

संख्या : सीएम–469 / आठ–1–05–225एलडीए / 05

प्रेषक,

जी.पी. मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2005

विषय :– मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्डपीठ के निर्माण हेतु गोमती नगर में भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित आपके अर्द्धशा.प.सं. : 181 / उपा.सी. / 05, दिनॉक 23.07.05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्डपीठ के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्डपीठ के पक्ष में आवंटन पत्र शासन द्वारा बजट स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्गत कर दिये जायें। चूँकि प्रश्नगत भूमि व्यावसायिक है, अतः उसे संस्थागत किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अतः भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि बजट की व्यवस्था करायी जा सके।

भवदीय,

(जी.पी. मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या : सीएम–469(1) / आठ–1–05, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय एवं अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्डपीठ की स्थापना हेतु भूमि मूल्य (लगभग रू. 81.58 करोड़) की बजट व्यवस्था हेतु अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(अजय कुमार सिंह)
अनुसचिव

विषयः **लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे चार जोनल प्लान्स की प्रगति तथा तीन और जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को नोडल एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

विगत बोर्ड बैठक दिनांक 13.08.2007 में लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे जोनल प्लान्स की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी तथा अवशेष जोन्स के जोनल प्लान्स शीघ्र पूरे कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। लखनऊ विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु इसे 22 नियोजन खण्डों (जोन्स) में विभक्त किया गया है तथा महायोजना प्रतिवेदन मे जोन-1, 2, 3, 15, 16 तथा 22 को शीघ्र बनाये जाने हेतु वरीयता दी गयी है। इसी के अनुक्रम में जोन-3, 15, 16 एवं 22 के जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु प्राईवेट कन्सलटेन्ट को दिनांक 05.10.2006 को नियुक्त किया गया है, जिनकी वर्तमान स्थिति/प्रगति निम्नवत् है:-

<u>जोन संख्या-3</u> का ड्राफ्ट जोनल प्लान दिनांक 18.12.2006 की बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया। किन्तु अग्रिम कार्यवाही से पूर्व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से जॉच कराने हेतु निर्देश दिए गये। तद्नुसार पत्र संख्या-1260/सी.टी.पी./2007, दिनांक 30.03.2007 के द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से जॉच हेतु अनुरोध किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या-564/व.नि.(3)/लखनऊ जोनल प्लान/2007-08 दिनांक 13.08.2007 द्वारा विभागीय अभिमत प्राप्त हुआ जो दिनांक 20.08.2007 को जोनल प्लान तैयार करने वाली संस्था (मे0 जी0पी0 एण्ड एसोसियेट प्रा0लि0, लखनऊ) को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। अभी तक संशोधित प्लान प्राप्त नही हुआ है।

<u>जोन संख्या-22</u> का ड्राफ्ट जोनल प्लान दिनांक 22.02.2007 की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसपर निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा परीक्षण किया जाएगा एवं परीक्षणोपरांत यदि कोई संशोधन हो तो उसे सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए। तद्नुसार पत्र दिनांक 07.03.2007 के माध्यम से जोनल प्लान जॉच हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को प्रेषित किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र दिनांक 28.05.2007 द्वारा अभिमत/जॉच आख्या प्राप्त हुई, जिसे दिनांक 02.06.2007 को जोनल प्लान बनाने

C.T.P.

वाली संस्था रूद्राभिषेक इन्टरप्राइजेस प्रा०लि०, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया। अभी तक संशोधित प्लान प्राप्त नही हुआ है।

<u>जोन संख्या-16</u> का ड्राफ्ट जोनल प्लान दिनांक 07.08.2007 को प्राप्त हुआ है, जिसे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० को जॉच हेतु दिनांक 16.08.2007 को प्रेषित कर दिया गया है। जॉच आख्या प्रतीक्षित है।

<u>जोन संख्या-15</u> की ड्राफ्ट रिर्पोट प्राप्त नही हुई है। ड्राफ्ट रिर्पोट दिनांक 05.10.2006 से 16 सप्ताह मे प्राप्त होनी थी। मे० रूद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज द्वारा निम्न जानकारी चाही गई है।

1. अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में प्राधिकरण की नीति।
2. प्रश्नगत क्षेत्र के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए 2511 एकड़ के नियोजन की अनुमति। [अधिकांश भाग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार ग्रीन क्षेत्र (पी.-1/ई.पी.) में पड़ता है।]

उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लेना आवश्यक है।

महायोजना-2021 में निर्धारित वरियता के अनुसार जोन-1 व 2 के जोनल प्लान्स तैयार किये जाने है। जोन-1 में अधिकांश भू-भाग पर विकास हो चुका है। इसलिए जोन-2 तथा शेष जोन्स में जोन-18 व 20 के जोनल प्लान्स शीघ्र से शीघ्र तैयार किये जाने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० से पत्र संख्या-116/सी.टी.पी./07 दिनांक 12.09.2007 द्वारा विभाग की सहमति मॉगी गयी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अपने पत्र संख्या-836/वनि(3)/लखनऊ विकास प्रा०/2007-08 दिनांक 24 सितम्बर, 2007 द्वारा उक्त तीनों जोन्स के जोनल प्लान्स तैयार किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति दी है तथा यह भी अनुरोध किया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त तीनों जोन का जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को अभिकरण घोषित किया जाय ताकि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

<u>प्रस्ताव:</u>

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० ऐसा एक मात्र विभाग है जिस ने पूरे प्रदेश में विकास क्षेत्र/विनियमित क्षेत्रों के अनुरोध पर महायोजना का कार्य सम्पन्न किया है। इस विभाग में इस कार्य हेतु तकनीकी क्षमता एवं अनुभव है तथा कम लागत से जोनल प्लान्स तैयार किये जा सकेगें तथा सरकारी विभाग होने के कारण उनके ऊपर उत्तरदायित्व भी निर्धारित होता है। जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा जो आर्थिक सहायता मॉगी जायेगी उसकी पूर्ति

...योजक
...प्राधिकरण

प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है। जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु समय सीमा भी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अतः जोन-2, 18 तथा 20 का जोनल प्लान तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को अभिकरण घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

[illegible] [illegible] Consolidated [illegible]
करायें।
आवश्यक कार्यवाही
(किया जाय)

विषय: **श्रीमती उषा बजाज पत्नी श्री रणवीर बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज द्वारा भूखण्ड संख्या-बी-940,सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ का भू-उपयोग महायोजना-2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ में दायर याचिका संख्या-6553(एम.बी)/2006 पर पारित आदेश के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 में निम्न निर्णय लिया गया।

''प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श एवं श्री बजाज को सुनने के उपरान्त निर्णय लिया गयाकि प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग महायोजना-2001 में व्यवसायिक था एवं महायोजना-2021 मे आवासीय हो गया है। यह सम्पूर्ण मार्ग व्यवसायिक क्रिया-कलापों से आच्छादित है। अतः प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2006 के क्रम में अन्तरिम जवाब मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।''

1. करामत मार्केट से गोल मार्केट चौराहे तक भवनों के सर्वेक्षण करा लिया जाय जिससे यह इंगित किया जाये कि किन-किन भूखण्डों पर आवासीय क्रिया-कलाप हो रहे है एवं किन-किन भूखण्डों पर व्यवसायिक क्रिया-कलाप है।
2. प्राधिकरण के अभिलेखों से यह भी सुनिश्चित करा लिया जाये कि प्रश्नगत क्षेत्र भूखण्डों मे कितने भूखण्डों पर भवनों के मानचित्र स्वीकृत है।
3. सड़क की कुल चौड़ाई, रेलवे ओवरबिज की चौड़ाई, आर.ओ.बी. के दोनों ओर मार्ग की चौड़ाई को मानचित्र में दर्शा दिया गया है।

बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. करामत मार्केट से गोल मार्केट चौराहे तक भवनों के सर्वेक्षण करा लिये गये है तथा किये जा रहे क्रिया-कलापों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम	भूखण्ड संख्या	भवन स्वामी का नाम	भू-उपयोग
1	बी-939/ए	श्री सतीश बंसल	कामर्शियल
2	बी-939/बी	स्व0 श्री प्रमोद बंसल	ज्योति पी.सी.ओ. एवं जनरल मर्चेन्ट
3.	बी-939/सी	श्री जितेन्द्र बंसल (पेन्ट)	व्यवसायिक काम्पलेक्स (पेन्ट-शाप इत्यादि)
4	बी-939/डी	मि0 अशोक बंसल	व्यवसायिक काम्पलेक्स
5.	बी-940	श्रीमती उषा बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज	कामर्शियल, खिलौने की दुकान
6.	बी-941	श्री अजीत मौर्या एवं पार्टनर	गेस्ट आउस

मुख्य नगर नियोजक लखनऊ विकास प्राधिकरण

7.	बी-942बी	श्री जैन	रेस्टोरेन्ट
8.	बी-942ए	श्रीमती राय	आवासीय
9.	बी-943	श्री विद्यार्थी	कामर्शियल, केवीज क्रियेशन शाप
10.	बी-943ए	श्री सुरेश अग्रवाल	कामर्शियल, हुन्डई कार शो-रूम

2. प्राधिकरण के अभिलेखों में प्रश्नगत भूखण्डों के मानचित्र की स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है।

1. भूखण्ड संख्या-बी-940 परमिट संख्या-4372 स्वीकृति दिनांक 13.04. आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत है।
2. भूखण्ड संख्या-बी-943ए परमिट संख्या-16194 स्वीकृति दिनांक 16.01.2004 आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत है।
3. भूखण्ड संख्या-बी-939ए परमिट संख्या-22439 स्वीकृति दिनांक 02.12.2006 आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत है।
4. भूखण्ड संख्या-बी-939डी परमिट संख्या-19767 स्वीकृति दिनांक 05.04.2005 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्वीकृत है।
5. भूखण्ड संख्या-बी-939सी परमिट संख्या-16487 स्वीकृति दिनांक 23.06.2003 आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत है।

3. सड़क की कुल चौड़ाई, रेलवे ओवरबिज की चौड़ाई, आर.ओ.बी. के दोनों ओर मार्ग की चौड़ाई को मानचित्र में दर्शा दिया गया है।

<u>प्रस्ताव</u>

अस्तु प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2006 के क्रम में यह प्रस्ताव है कि करामत मार्केट से गोल मार्केट चौराहे तक कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार स्थिति आवासीय भूखण्डों जिनमें कामर्शियल गतिविधियाँ विद्यमान है, को आवासीय से व्यवसायिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाये।

विषयः बिरला साफ्ट द्वारा आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित इन्टीग्रेटेड अप्लीकेशन साफ्टवेयर पैकेज (आई.ए.एस.पी.) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुचारू रूप से कियान्वित करने हेतु फैसिलिटी मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में।

आवास बन्धु द्वारा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के क्रिया–कलापों को कम्प्यूटरीकृत करने तथा उन्हें आपस में इन्टीग्रेट करने हेतु आई.ए.एस.पी. विकसित करने का कार्य बिरला साफ्ट को सौंपा गया था। बिरला साफ्ट द्वारा विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद के क्रिया–कलाप तथा आवश्यकताओं का अध्ययन करके साफ्टवेयर विकसित किया जा चुका है एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण में इसे 'इंस्टाल' कर दिया गया है। जैसा कि निर्धारित था, बिरला साफ्ट द्वारा दिनॉक 03 अगस्त, 2007 से दिनॉक 18 अगस्त, 2007 तक (15 दिन के लिए) साफ्टवेयर के विभिन्न माड्यूल का प्रशिक्षण प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई है। वर्तमान में साफ्टवेयर को इम्प्लीमेन्ट किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

2. विचार–विमर्श के उपरान्त दिनॉक 01.10.2007 तक बिरला साफ्ट द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर प्राधिकरण के विभिन्न कार्यो को कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. साफ्टवेयर को सुचारू रूप से एवं सफलतापूर्वक लागू करने तथा कार्यो में उसका प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भ के कुछ महीनों तक विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके द्वारा साफ्टवेयर पर कार्य किया जाना है, को नियमित रूप से 'टेक्निकल सपोर्ट' उपलब्ध कराया जाये। इस सम्बन्ध में श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ.प्र. से चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया है कि आवास बन्धु एवं विरला साफ्ट के मध्य जो अनुबन्ध निष्पादित हुआ है उसके अन्तर्गत साफ्टवेयर को इम्प्लीमेन्ट करने के उपरान्त बिरला साफ्ट द्वारा एक वर्ष तक टेक्निकल सपोर्ट प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा जिसके अन्तर्गत एक तकनीकी अधिकारी प्राधिकरण में उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त विरला साफ्ट द्वारा 5 वर्ष की वारन्टी की गई है, जिसके अन्तर्गत साफ्टवेयर का रख–रखाव का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

4. लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्रिया–कलाप काफी बृहद हैं। कम्प्यूटरीकरण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी अनुभागों द्वारा

नियमित रूप से इस पर कार्य प्रारम्भ किया जाये। यह तभी सम्भव हो पायेगा जब प्रारम्भ के कुछ माह तक साफ्टवेयर को सुचारू रूप से प्रयोग करने हेतु प्राधिकरण के सभी विभागों/अनुभागों में 2–4 तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को साफ्टवेयर कम्पनी द्वारा पूर्णकालिक रूप से तैनात किया जाये, जिससे किसी भी समय कोई कठिनाई आने पर उनके द्वारा उसका निराकरण किया जा सके एवं सम्बन्धित स्टाफ को वांछित सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उपरोक्त तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्णकालिक रूप से तैनात करने से प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल बना रहेगा एवं उन्हें लगातार तकनीकी सपोर्ट मिलता रहेगा। बिरला साफ्ट देश में प्रथम स्तर की साफ्टवेयर कम्पनियों में से एक है। यदि बिरला साफ्ट को ही फैसलिटी मैनेजमेन्ट का कार्य सौंप दिया जाये तो निश्चित रूप से साफ्टवेयर को सफलता पूर्वक प्रयोग करने में सुविधा रहेगी एवं बिरला साफ्ट के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बेहतर स्तर की फैसिलिटी मैनेजमेन्ट की सेवा दी जा सकती है।

5. फैसिलिटी मैनेजमेन्ट टीम में सम्मिलित कियें जाने वाले तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु से चर्चा हुई थी, जिसमें यह मत स्थिर हुआ कि फैसिलिटी मैनेजमेन्ट टीम में जो भी तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी विरला साफ्ट द्वारा उपलब्ध कराये जायें उनकी योग्यता न्यूनतम बी.टेक/पी.जी. डिप्लोमा/ग्रेजुएट इन कम्प्यूटर सांइस तथा न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक (सिस्टम) आवास बन्धु द्वारा दो पृष्ठों की एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई है, जो संलग्न की जा रही है।

6. विभिन्न अनुभागों में तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या का ऑकलन किया गया है। फैसिलिटी मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत कुल मिलाकर 20–25 तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इन कर्मचारियों की संख्या कुछ माह के बाद आवश्यकतानुसार कम की जा सकती है।

7. फैसिलिटी मैनेजमेन्ट पर आने वाले सम्भावित व्यय के सम्बन्ध में यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान में साफ्टवेयर इण्डस्ट्री में उपरोक्तानुसार योग्यता एवं अनुभव के आधार पर जो पैकेज प्रचलित हो उसी को आधार मानते हुए फैसिलिटी मैनेजमेन्ट पर सम्भावित व्यय का ऑकलन किया जाय।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत यह प्रस्तावित है कि प्राधिकरण में आई.ए.एस.पी. को सुचारू रूप से लागू करने एवं उसके उपरान्त सुचारू रूप से उसका क्रियान्वयन करने हेतु विरला साफ्ट को फैसिलिटी मैनेजमेन्ट का कार्य सौपने पर विचार कर लिया जाये। विभिन्न अनुभागों में आवश्यक 'मैनपावर' आदि का ऑकलन तथा विरला साफ्ट को देय धनराशि के ऑकलन हेतु एक समिति का गठन किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

<u>प्रस्तावः</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत आवास बन्धु द्वारा बिरला साफ्ट से विकसित कराये गये आई0ए0एस0पी0 को प्राधिकरण में सुचारू रूप से लागू करने तथा उसके उपरान्त उसे सुचारू रूप से कियान्वित करने के उद्देश्य से निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैः——

1— आवास बन्धु तथा बिरला साफ्ट के मध्यम सम्पादित अनुबन्ध के अन्तर्गत वांछित कार्य पूर्ण करने की तिथि से प्राधिकरण में एक वर्ष के लिए फैसिलिटी मैनेजमेन्ट का कार्य बिरला साफ्ट को सौंप दिया जाय।

2— प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों में फैसिलिटी मैनेजमेन्ट के लिए आवश्यक मैनपावर तथा फैसिलिटी मेनेजमेन्ट पर व्यय का आंकलन करने एवं बिरला साफ्ट को फैसिलिटी मैनेजमेन्ट हेतु देय धनराशि के सम्बन्ध में निगोशिएट करके अन्तिम निर्णय लेने हेतु एक समिति गठित कर दी जाय। इस समिति के गठन हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाय।

पारित। [illegible]
Phase-out.

'elopment Authority plans to outsource the Facility Management Services for the IASP being implemented by Birlasoft which **will also include implementation of Helpdesk tool .tra cost to LDA for efficient tracking resolution and management of issues (tickets).** To bring ange and make the implementation success, we believe that the services should be outsourced to the , IASP software vendor..

services to be procured by M/s Birlasoft Limited as part the Facility Management would be

support and Maintenance of "**Integrated Application Software Package**" would cover:

- Enhancement & Customisation as per LDA requirement.
- Test, Document and rollout as per LDA
- Maintain a list of requested changes, work with user to prioritise and complete the changes ongoing per the priorities.
- Work with Lucknow Development Authority Personnel to plan updates and integration designs.
- Provide daily email update of completed, in process, pending user response.
- Attend weekly meeting with Vice chairman of Lucknow Development Authority of IT to align priorities and talk through requirements/user needs.
- Provide technical expertise and advice of complexity levels associated with tasks.
- Training to new users and on new uploaded modules.
- IASP Application Web site maintenance and upgrade.

Server management and Problem Management would include:

- Server Support and Administration
- Daily, Weekly & Monthly routine activities.
- Server Monitoring and vendor coordination
- Assistance in IM
- Problem Management, Change Manage and Release Management
- Communication and Escalation
- Matrix Reporting and Dashboarding
- Desktop Support and trouble shooting
- Installation and configuration of workstations
- Fixing all desktop related issues
- Software Installation and trouble shooting
- Printer configuration and management
- Ghosting and imaging of Desktop
- Basic Hardware support and vendor co-ordination for repair
- Antivirus installation and support
- Desktop Operating System installation & trouble shooting
- Desktop Patch Management

The technology and profile of the resources would be as following :

ASP.Net
C#
ESRI GIS Tool (Arc iewer, Ac GIS)
SQL Server 2000
Windows XP
I.E. 5.0 or above

...t-Profile- B. Tech./PG Diploma/ Computer Science Graduate/Post Graduate.
...IASP/Technology experience(.Net/SQL) -10 Consultant
... IASP/Technology experience(.Net/SQL) - 5 Tech. Lead
... of DBA/Handholding Support. – 8 Consultant
... View Consultant with 2-3 Years - 1 Consultant
...t Manager with 5-8 Years of Experience - 1 PM

...eam Required:

Detailed Activities	Number of Resources		
Application Support for various IASP applications.	20	15	10
Server Management /Problem Management	2	2	2
Workstation Management	2	2	2
Project Manager	1	1	1

The cost involved on the Annual basis for the project would be as follows:

Investment Summary:

Payment to made to Birlasoft on quaterly basis.		
Quarter 1	Quarter 2	*Quarter 3 & Quarter 4 i.e. 6 Months*
Rs. 60,00,000/-	Rs. 48,00,000/-	*Rs. 72,00,000/-(36,00,000/- per Qtr.)*
Rupees Sixty Lakh only	*Rupees Forty Eight Lakhs Only*	*Rupees Seventy Two Lakhs Only*

विषय संख्या: 18

विषयः- कानपुर रोड शारदा नगर आशियाना एल्डिको आदि योजनाओ के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेसन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध मे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड, शारदा नगर आदि योजनाओ के सीवर डिस्पोजल हेतु कस्बा बिजनौर में एसटीपी का भू-उपयोग प्रदर्शित है। उक्त भूमि को निगोशियेसन के आधार पर प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक 2 मई 2006 में प्रस्तुत हुआ था। जिसमें प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया

> ''प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य अभियन्ता,सभी जोन, जल निगम मुख्य अभियन्ता,नगर निगम एवं मुख्य अभियन्ता ल0वि0प्रा0 की एक समिति गठित की गई जो प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओ का अध्यन एवं परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी'' **(संलग्नक 1)**

प्राधिकरण बोर्ड कें उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति द्वारा दिनांक 06.07.06 को कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना मानसरोवर योजना के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के स्थल हेतु जल संस्थान,जलनिगम एवं ल0वि0प्रा0 अभियन्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। महायोजना में ग्राम बिजनौर में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के स्थल को उपयुक्त पाया गयां एवं भू-अर्जन की तत्काल कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई। **(संलग्नक 2)**

उपरोक्त के क्रम में महायोजना में कानपुर रोड योजना,शारदा नगर योजना के सीवर डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित एसटीपी की भूमि को चिन्हित किया गया है तथा भूमि का विवरण तैयार किया गया है। उक्त विवरण के अनुसार चयनित भूमि मे ग्राम बिजनौर में 15.2740 हे0 कृषि भूमि व 1.0500 हे0 ग्राम समाज व सीलिंग की भूमि 0.5910 हे0 की भूमि सम्मिलित है। उक्त कृषि भूमि विभिन्न काश्तकारों के नाम पर भूमिधरी के रूप मे दर्ज है जिसका अधिग्रहण किया जाना है।

महायोजना में एसटीपी के निर्माण हेतु ग्राम बिजनौर में प्रस्तावित क्षेत्र में 15.2740 हे0 कृषि भूमि के अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

SIP

(एस० के० सिंह)
पी०सी०एस०
अपर सचिव

विवेक श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव-01 (अर्जन)
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विषय संख्या : 7 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में डा. राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकित कर संज्ञान में लिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

विषय संख्या : 8 गोमती नगर विस्तार योजना भाग–2 हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 9 सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव।

निर्णय : भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 10 कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना,एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि नेगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, सभी जोन, जल निगम, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जो प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं का अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

दिनांक- 4.7.2006 को
जल निगम, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण

अभियन्ता, जोन-1 द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 जल निगम व सिंचाई विभाग से सम्पर्क कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित विभाग के साथ सम्पर्क कर शीघ्रता कराने का निर्देश दिया गया है।

कानपुर रोड योजना की ड्रेनेज व्यवस्था के निस्तारण में अवरोधों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गयी। अधि0 अभि0 जोन-13 द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा किला मोहम्मदी ड्रेन को सुदृढ़ करने की परियोजना अन्तिम चरण में है और इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद सम्भवतः ड्रेनेज की समस्या का समाधान हो जायेगा।

जानकीपुरम् विस्तार एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये मुख्य नाले के निर्माण की योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी। अधि0अभि0 से निर्मित होने वाले नाले अथवा वर्तमान में स्थित नाले को सीधे गोमती नदी में गिराये जाने की स्थिति की जानकारी चाही गई। स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उ0प्र0 जल निगम व क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निर्देश दिया गया कि गोमती एक्शन प्लान द्वितीय में स्वीकृत अन्ततः डिस्पोजल की स्थिति से अवगत कराया जाय। सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य आई.आई.एम. तक प्रस्तावित प्राधिकरण की नयी योजना के सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी। महाप्रबन्ध, उ0प्र0 जल निगम, गोमती एक्शन प्लान द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ महायोजना 2021 की ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिये सम्मिलित प्रस्ताव में ड्रेनेज व सीवरेज व्यवस्था को ककरहा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में निस्तारित, शुद्धीकृत करने का प्रस्ताव महायोजना में है। तदानुसार इन प्रस्तावित सेवाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था व कार्य योजना प्रस्तावित की जायेगी।

बसंत कुंज योजना व कैम्पबेल रोड की ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था को प्रभावी रूप में लाने हेतु सम्पवैल एवं पम्पिंग स्टेशन का निर्माण बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित है। योजना के विरचन का कार्य प्राधिकरण व जल निगम, जल संस्थान द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष कराया जा रहा है। जिसे अगले पंद्रह दिन में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित करने का आश्वासन महाप्रबंधक जल निगम द्वारा दिया गया है।

कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, मानसरोवर योजना के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के स्थल भूमि के चयन हेतु दिनांक 06.07.06 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जल संस्थान, जल निगम एवं ल0वि0प्रा0 के अभियन्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया, महायोजना में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये प्रस्तावित स्थल को उपयुक्त पाया गया। भू-अर्जन की तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

महानगर योजना के सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दशको से ल0वि0प्रा0 द्वारा किया जा रहा है, इसे जल संस्थान को हस्तांतरित करने पर चर्चा की गयी। मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अधिशासी अभियन्ता, जोन-10 को काफी समय पूर्व कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। अधि0 अभि0-10 से अपेक्षा की गयी कि संयुक्त निरीक्षण करते हुये पम्पिंग स्टेशन को मानक के अनुसार विकसित कर तत्काल हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाय।

अलीगंज, जानकीपुरम एवं संबंधित क्षेत्र के लिये अलीगंज योजना में संयुक्त रूप से पम्पिंग स्टेशन वर्ष 1998-99 से पूर्व निर्मित किया गया तभी से इसका संचालन

विषय संख्याः- 19.

विषयः ग्राम बरगवां बिजनौर, लखनऊ स्थित खसरा सं0 585 में निर्मित भवन के समायोजन हेतु।

कानपुर रोड योजना भाग-1 के अन्तर्गत भूमि खसरा सं0 585 स्थित ग्रमा बरगवां परगना व जिला लखनऊ क्षेत्रफल बीघा 1-9-0-0 का अर्जन भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 23.08.76 व 20.11.76 को शासकीय गजट में प्रकाशित किया गया था। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक दिनांक 23.03.06 को ल0वि0प्रा0 को भूमि का कब्जा हस्तांतरित किया जा चुका है। भूमि का अभिनिर्णय दि0 09.01.86 को घोषित किया जा चुका है। अपर जिलाधिकारी भू0अ0 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि का प्रतिकर भुगतान नही हुआ है।

2. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के अनुसार खसरा सं0 585 स्थित ग्राम बरगवां रकबा 1-9-0-0 डा0 मुन्नी लाल पुत्र रामेश्वर दास के नाम 1370 फ0 से भूमिधरी अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खतौनी 1396 फसली से 1401 फसली तक में अकिंत विवरण के अनुसार उक्त भूमि स्व0 श्री मुन्नीलाल के वारिस श्री प्रधुमन व कृष्ण टण्डन व राम टण्डन के नाम दर्ज है। स्थल पर किया गया निर्माण अर्जन से पूर्व का है। प्रश्नगत भूमि पर स्थित निर्माण के सम्बन्ध मे अभियन्त्रण खण्ड द्वारा सर्वे प्लान उपलब्ध कराया गया है। भूखण्ड का कुल क्षेत्र0 1-9-0-0 है जबकि भवन का निर्माण 357-58 वर्गमी0 व टीन शेड का निर्माण 143-30 वर्गमी0 है। खुली भूमि लगभग 3100 वर्गमी0 है। प्रश्नगत भूमि पर अभी तक नियोजन विभाग द्वारा कोई नियोजन नही किया गया है तथा भूमि का उपयोग आवासीय है। उक्त भूमि पर निर्माण होने के कारण शासन को दिनांक 02.04.98 को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। आवास अनुभाग-3 के पत्र सं0 968/9-आ-3-98-127-एलए/94 दि0 01.06.98 द्वारा निम्न निर्णय लिया गया थाः-

> "गाटा सं0 585 में 457.78 वर्गमी0 पर भवन निर्माण अर्जन की कार्यवाही के पूर्व का है तथा प्रस्तावित स्थल की अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अब अर्जन मुक्त किया जाना सम्भव नही है, किन्तु अर्जित भूमि के एक भाग पर आवासीय भवन अर्जन से पूर्व का निर्मित है, इस भाग को सामान्य शर्तो पर समायोजित किया जाना उचित प्रतीत होता है। शेष भूमि पर प्राधिकरण अपनी योजना बना सकता है। समायोजित किये जाने वाले भाग को संलग्न नक्शे पर ए,बी,सी,डी, तथा ई पर दिखाया गया है। अतः कृपया प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विचारोपरान्त कार्यवाही करने का कष्ट करे(**संलग्न-1**)"।

3. प्रश्नगत प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 27.12.98 व 08.03.99 मे प्रस्तुत हुआ था परन्तु समय के आभाव के कारण इस विषय पर विचार नही हो सका ।

4. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण शासन की अपेक्षा के अनुसार प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.99 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें निम्न निर्णय लिया गयाः-

(एस0 के0 सिंह) पी0सी0एस. अपर सचिव

विवेक पाण्डेय संयुक्त सचिव 01 (अर्जन) लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

19 20 21

"विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को भूमि अर्जन सम्बन्धी मामलों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया"।

इसी बीच इसी भूमि के स्वामित्व के सम्बनध में श्री गिरधारी लाल टण्डन आदि द्वारा आपत्ति की गई फलस्वरूप प्रकरण समायोजन समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत नही किया गया क्योकि स्वामित्व ही विवादित हो गया था। बाद मे श्री कृष्ण टण्डन द्वारा पुनः अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त भूमि पर श्री कृष्ण टण्डन ,श्री प्रदुमन टण्डन व श्री राम टण्डन का नाम पुनः अंकित हो गया है तथा साक्ष्य के रूप में षटवार्षिक खतौनी 1409 से 1414 फसली की प्रति उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार स्वामित्व का विवाद अब नही है। प्रकरण समायोजन समिति की बैठक दिनांक 24.07.04 व 04.11.04 मे पुनः प्रस्तुत किया गया था परन्तु अन्तिम निर्णय नही हो सका।

5. शासन द्वारा श्री कृष्णा टण्डन निवासी 12 बिरवा, कानपुर रोड के अनुरोध के क्रम मे अपने पत्र संख्या-5182(1)/8-3-2005-127एलए/94 दिनांक 22, मार्च 2006 द्वारा निम्न अपेक्षा की गई है:-

" खसरा संख्या-585 ग्राम बरगंवा की सम्पूर्ण भूमि के समायेाजन के सम्बन्ध मे विचार कर निर्णय लेने हेतु प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करे। कृपया प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे(**सलंग्नक-2**)"।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियो मे भूमि खसरा संख्या-585 स्थित ग्राम बरगंवा के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 1-9-0-0 बीघा को प्राधिकरण के लेआउट मे समायोजित किये जाने का प्रकरण दिनांक 24.09.07 को समायोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। समायेाजन समिति द्वारा कतिपय शर्तो के साथ समायोजन किये जाने पर मत स्थिर हुआ(**सलंग्नक-3**)।

प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष समायोजन समिति के मतानुसार निम्न अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

(अ) लेआउट प्लान मे सुपर इम्पोज किये गये खसरा सख्या-585 ग्राम बरगंवा की भूमि व प्राधिकरण द्वारा निर्मित 24.0मीटर चौडी सडक के मध्य उपलब्ध भूमि को समायोजन किये जाने वाली से एक्सचेन्ज कर लिया जाये।

(ब) भू-स्वामी को प्राधिकरण की नीति के अनुसार समायोजन करने हेतु विकास शुल्क एवं नियमानुसार समायोजन शुल्क देना होगा।

(स) भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी निर्माण कार्य नही किया जायेगा।

(द) समायेाजन के समय अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियो एवं भूमि का कोई भी प्रतिकर प्राधिकरण द्वारा नही दिया जायेगा।

(ई) समायोजित भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(एस० के० सिंह)
पी.सी.एस.
अपर सचिव

rally

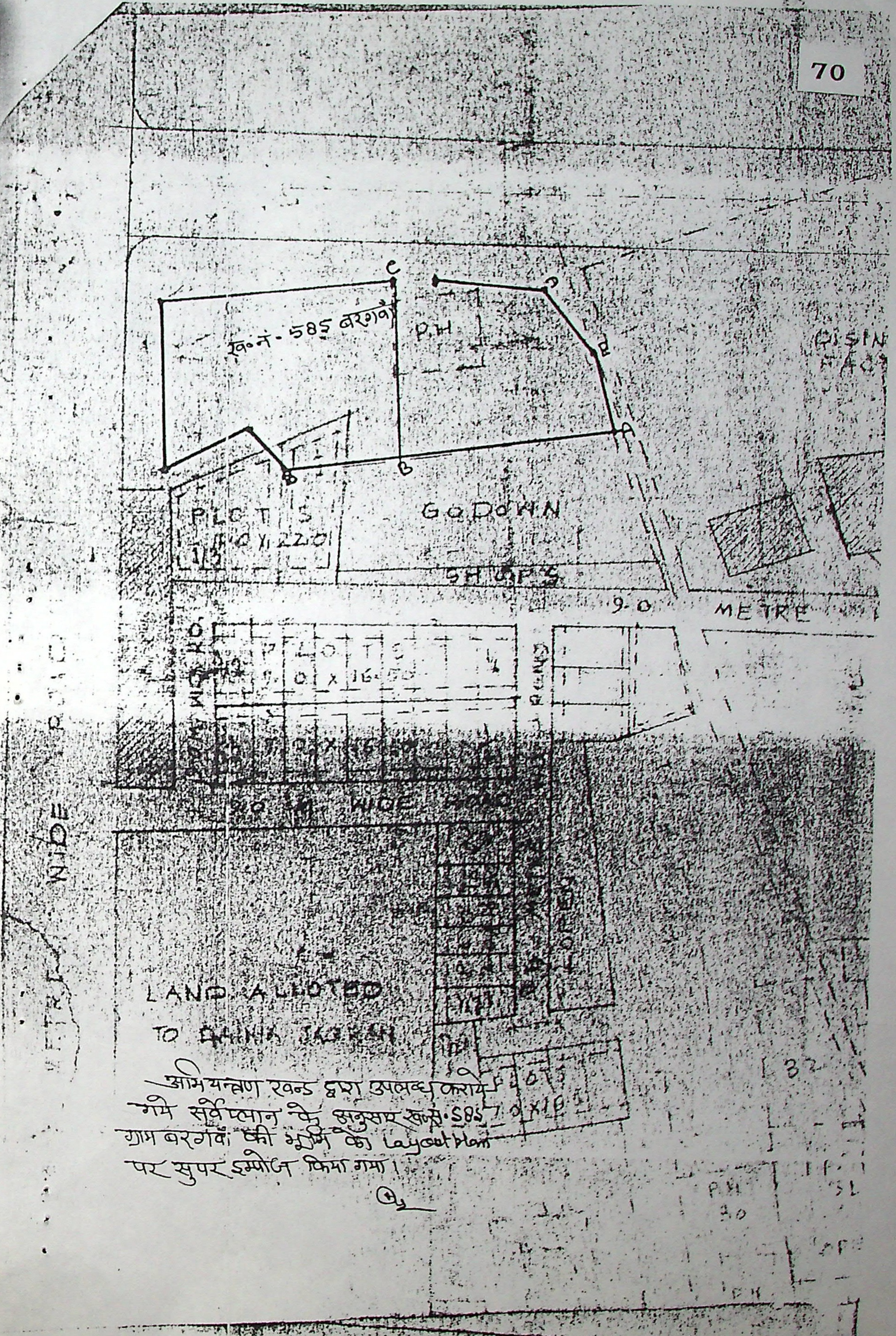

ख०नं०-585 बरगवाँ
P.H
C
B
PLOTS
GODOWN
SHOPS
9.0 METRE
PLOTS
9.0 x 16.50
90 M. WIDE ROAD
WIDE
OPEN
LAND ALLOTED
TO
32
अभियन्त्रण खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये
गये सर्वे प्लान के अनुसार ख०सं०-585
ग्राम बरगवाँ की भूमि को Layout Plan
पर सुपर इम्पोज किया गया।

संलग्नक-2

71

2668/4/YC
22-3-06

(433)

जी.पी.मिश्र,
विशेष सचिव।

मा. मुख्यमंत्री संदर्भ
अ0शा0प0सं0–5182(1)/ 8–3–2005
127एल.ए./ 94
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
बापू भवन,

लखनऊः दिनाँकः 22 मार्च जनवरी, 2006

प्रिय महोदय,

खसरा संख्या–585 ग्राम बरगंवा, लखनऊ की सम्पूर्ण भूमि समायोजन के सम्बंध में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–2157/ ए.सी./ ए.ए. दिनांक 22.2.2006 तत्क्रम में प्रेषित पत्र संख्या–2182/ ए.सी./ ए.ए. दिनांक 28.2.2006 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि कृपया खसरा संख्या–585 ग्राम बरगंवा की सम्पूर्ण भूमि के समायोजन के सम्बंध में विचार कर निर्णय लेने हेतु प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कराने का कष्ट करें। कृपया प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर,

भवनिष्ठ,

(जी.पी.मिश्र)

श्री दी.बी.सिंह,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सचिव
श्री वी.एन. सिंह
अधि.अभि.(अर्जन)

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सचिव
विकास प्राधिकरण
4-03.06

W-04-D0(113)

सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दि0 24.09.07 को हुई समायोजन समिति की बैठक का कार्यवृत

1. श्री भूपेन्द्र सिंह,सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ
2. श्री महेन्द्र प्रसाद,वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ
3. श्री वी0बी0एल0एन0 शर्मा,मुख्य नगर नियोजक,लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

अन्य उपस्थिति

1. श्री विवेक पाण्डे, संयुक्त सचिव-2 लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

मा0 जयवीर सिंह, विधायक के प्रार्थना पत्र पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये दि0 29.06.07 के क्रम में कानपुर रोड योजना भाग-1 केअर्न्तगत श्री कृष्ण टण्डन व अन्य की भूमि खसरा सं0 585 पर स्थित निर्माण के समायोजन के प्रकरण पर तथा शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दि0 22 मार्च 2006 में दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में विचार किया गया। श्री कृष्ण टण्डन के ग्राम बरगवां स्थित खसरा सं0 585 क्षेत्रफल 1-9-0-0 बीघा भूमि पर स्थित निर्माणों को प्राधिकरण के ले-आउट में निम्न शर्तो के साथ समायोजन किये जाने पर समिति का मत स्थिर हुआ।

(अ) ले-आउट प्लान में सुपरइम्पोज किये गये खसरा नम्बर 585 ग्राम बरगवां की भूमि व प्राधिकरण द्वारा निर्मित 24 मी0 सड़क के मध्य उपलब्ध भूमि को समायोजन किये जाने वाली से एक्सचेन्ज कर लिया जाये।

(ब) भू-स्वामी को प्राधिकरण की नीति के अनुसार समायोजन करने हेतु विकास शुल्क एवं नियमानुसार समायोजन शुल्क देना होगा।

(स) भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण की स्वीकृति बिना कोई भी निर्माण कार्य नही किया जायेगा।

(द) समायोजन के समय अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां एवं भूमि का कोई प्रतिकर प्राधिकरण द्वारा नही दिया जायेगा।

(ई) समायोजित भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(विवेक पाण्डे)
संयुक्त सचिव-2

(वी0बी0एल0एन0 शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

(महेन्द्र प्रसाद)
वित्त नियंत्रक

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

rafly

20

2

विषय संख्या: - 20.   पृष्ठ संख्या: 73

प्रस्ताव: कुमायूँ परिषद, लखनऊ' द्वारा उत्तराखण्ड कला केन्द्र एवं बहु-उददेशीय भवन के निर्माण हेतु कुमायूँ परिषद को गोमती नगर विस्तार में 500 वर्गमीटर संस्थागत भूमि आवंटन विषयक।

मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 10.9.2007 के साथ संलग्न पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड, मा0 श्री नारायण दत्त तिवारी सम्प्रति महामहिम श्री राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश के पत्र के साथ संलग्न अध्यक्ष, कुमायूँ परिषद लखनऊ का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमे उत्तराखण्ड के स्थानीय वासियों की संस्था कुमायूँ परिषद, लखनऊ' द्वारा उत्तराखण्ड कला केन्द्र एवं बहु-उद्देशीय भवन के निर्माण हेतु कुमायूँ परिषद को गोमती नगर विस्तार योजनान्तर्गत 1500 वर्गमीटर (15000 वर्गफीट) भूमि न्यूनतम दर पर आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के तारतम्य में अध्यक्ष, कुमॉयू परिषद लखनऊ द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.2007 के माध्यम से 1500 वर्गमीटर के स्थान पर 500 वर्गमीटर भूखण्ड न्यूनतम दरों पर आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यकलाप एवं उद्देश्यों का उल्लेख प्रार्थना पत्र मे ही किया गया है जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-
''कुमायूँ परिषद की स्थापना वर्ष 1948 होना उल्लिखित है। उत्तराखण्ड कला केन्द्र के निर्माण में पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त की प्रतिमा, एन0डी0तिवारी प्रेक्षागृह, स्व0हेमवती नन्दन बहुगुणा पुस्तकालय एवं वाचनालय एवं पूर्णानन्द तिवारी संगीत प्रशिक्षण कक्ष, अतिथि कक्ष तथा चन्द्र भानु गुप्त अतिथि कक्ष का निर्माण प्रस्तावित है।''

उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार के प्रकरण जैसे-ऋतनन्द बालवेद एजूकेशन फाउण्डेशन(एमीटी), डिवाइन हार्ट फाउण्डेशन, चन्दन सिंह फाउण्डेशन को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर संस्थागत भूमि आवंटित की गयी है।

अत: प्रस्ताव है कि इसी आधार पर संस्था के उपरोक्त विवरण एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूँ परिषद, लखनऊ हेतु मुख्य नगर नियोजक द्वारा उत्तराखण्ड कला केन्द्र एवं बहु-उददेशीय भवन के निर्माणार्थ गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में इन्स्टीटयूशनल भूमि क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर आवंटन किये जाने हेतु चिन्हित किया है जिसकी दर संस्थाओं हेतु प्राविधानित आवासीय दर रू0 4400/- का डेढ गुणा रू0 6600/- प्रति वर्गमीटर से लिये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(के० के० सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी
विकास प्राधिकरण लखनऊ

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(एस० के० सिंह)
पी.सी.एस.
अपर सचिव

विचारार्थ ... प्रस्तुत

20

विषय संख्या: -21

पृष्ठ संख्या:

प्रस्ताव: ओसामा तलहा फाउण्डेशन हेतु व्यवसायिक शिक्षण संस्थान आई०टी०आई०, बी०बी०ए० एवं एम०बी०ए० को हरदोई रोड योजना के सेक्टर-आई में 2.5 एकड़ संस्थागत भूमि आवंटन विषयक।

ओसामा तलहा फाउण्डेशन की चेयरपरसन, सुश्री परवीन तलहा द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.9.05, 14.7.07 के माध्यम से लखनऊ में ओसामा तलहा फाउण्डेशन हेतु सेंन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन स्कूल, आई०टी०आई०, बी०बी०ए०, एम०बी०ए० एवं मीडिया इन्स्टी० खोलेने हेतु 5 एकड भूमि के आवंटन का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात् संस्था द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.8.2007 के द्वारा 2.5 एकड़ भूमि हरदोई रोड, सेक्टर-आई में आई०टी०आई०, बी०बी०ए०, एम०बी०ए० एवं मीडिया संस्थान के लिए आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। संस्था द्वारा सोसायटी पंजीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र भी साथ में संलग्न किया गया है। संस्था द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संस्था के उद्देश्य एवं कार्य-कलाप भी संलग्न है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

1. This foundation has so far been encouraging similar journalists, who stand out for their integrity, by giving them awards and has helped financially and socially depressed children with scholarship. But now it wishes to contibute its mite in the field of education by taking a small step in this direction. It has project for integrated learning for girls and boys so that they can become professionally qualified to enter the job market with success. For this purpose, we propose to start
2. An Industrial Training Institute, and
3. An Institute for BBA & MBA and for Media Studies.
4. Besides running technical courses, the Institute would also setup entrepreneurship development and placement cell of its own for promoting employment/self employment avenues for its students.
5. The Institute will also work as a gap-filler in collaborative alliance with the government agencies providing technical and vocational support in the districts.
6. While, so far, the Foundation has sustained its activities with voluntary contributions from its promoters, it now seeks to raise resources with assistance from corporate sector, financial institutions, Doner NGOs and the government.

उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार के प्रकरण जैसे--ऋतनन्द बालवेद एजूकेशन फाउण्डेशन (एमीटी), डिवाइन हार्ट फाउण्डेशन, चन्दन सिंह फाउण्डेशन को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर संस्थागत भूमि आवंटित की गयी है।

अत: प्रस्ताव है कि इसी आधार पर संस्था के उपरोक्त विवरण एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य नगर नियोजक द्वारा ओसामा तलहा फाउण्डेशन को हरदोई रोड योजना के सेक्टर-आई के संस्थागत क्षेत्र में 2.5 एकड़ भूमि के आवंटन किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है। जिसकी दर संस्थाओं हेतु प्राविधानित आवासीय दर रू0 3300/-का डेढ़ गुना रू0 4950/- प्रति वर्गमीटर से, लिये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(के० के० सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी
विकास प्राधिकरण, लखनऊ

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(एस० के० सिंह)
पी सी एस
अपर सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री हरभजन सिंह	उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री रामबहादुर (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	श्री अवनीश चतुर्वेदी	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8.	ई0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	आर्कीटेक्ट प्लानर/ओ.एस.डी. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अन्य उपस्थितिः

11.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
12.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
14..	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–वि0यां0, ल0वि0प्रा0

६

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
विषय संख्याः 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णयः	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि तात्कालिक प्रकृति के उस सीमा तक के कार्य ही उत्तर प्रदेश राज्यकीय निर्माण निगम की पद्धति पर किये जाये, जिसके सम्बन्ध में टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना सम्भव न हो। इस परियोजना के शेष कार्यों हेतु वर्तमान में प्रचलित टेण्डर प्रक्रिया अपनायी जाये।
विषय संख्या : 3	शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास करने के सम्बन्ध में ।
निर्णयः	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। भूमि की लागत शासन से प्राप्त करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया।
विषय संख्या : 4	लखनऊ नगर में जेल रोड पर स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान को "मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल" के रुप में विकसित करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 5	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर स्थित स्मृति उपवन का नामकरण "मान्यवर कांशीराम जी स्मृति उपवन" करने तथा इसका वृहद विकास करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्याः 6 — राजाजी पुरम से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 7 — लखनऊ नगर में बहु–विशेषज्ञीय अस्पताल तथा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेण्टर परियोजनाओं का कियान्वयन पी0पी0पी0 माडल पर कराने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना के प्राविधानो के अनुसार प्रस्तावित स्थल के भू–उपयोग का परीक्षण कर लिया जाये एवं प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल एवं आकार का निर्धारण कर लिया जाये।

विषय संख्या : 8 — लखनऊ नगर की अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण व अन्य अर्बन रिजुवनेशन परियोजनाओं का कियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) माडल पर कियान्वित करने हेतु कन्सल्टेंट का चयन करने एवं पी0डी0एस0पी0वी0 गठित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कन्सल्टेंट के चयन की कार्यवाही नियमानुसार की जाये। प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस0पी0वी0 बनाने से पूर्व अनुबन्ध आदि पर प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

विषय संख्या : 9 — लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में विकासकर्ता कम्पनी/वास्तुविद/नगर नियोजकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार कतिपय संशाधनों पर विचार।

निर्णय : — इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रकरण में विस्तृत अध्ययन करने तथा सुझाव एवं संस्तुति देने हेतु समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया। समिति द्वारा एक माह में अपनी संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्मित किये जाने वाले रिहायशी इकाईयों का घनत्व 500 रिहायशी इकाईयों प्रति हेक्टेअर अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा परीक्षण करके एक सप्ताह मे संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी ।

विषय संख्या : 11 ताज रेजीडेन्सी के पीछे पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि तथा ग्राम औरंगाबाद खालसा में शहीद पथ के दक्षिण में उपलब्ध 10 बीघा 5 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग में अवस्थित है। पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि पर अतिथिगृह का निर्माण किये जाने तथा प्रश्नगत औरंगाबाद खालसा में उपलब्ध भूमि को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या : 12 डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस चौकी के बगल में अतिथिगृह का निर्माण, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल परिसर के बाहर रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र का कार्य तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान का लैण्ड स्केप तथा अन्य कार्यो हेतु मेसर्स आर्कीटेट ब्यूरो, नई दिल्ली को कन्सल्टेंट के रुप में की गई नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : अवलोकित किया गया ।

विषय संख्या :13 राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर प्रस्तावित 60 मी0 सड़क की चौड़ाई को 30 मी0 (कैनाल के दायीं ओर) किये जाने तथा कैनाल के दूसरी ओर (कैनाल के बायीं ओर) अवशेष 30 मी0 चौड़ी पट्टी की रोड कालीदास मार्ग से सदर कासिंग तक आवासीय सदर कासिंग से मवैया तक व्यवसायिक तथा मवैया से राजाजीपुरम तक आवासीय में परिवर्तित किये

जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या :14 गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के पक्ष में आवंटित 40 एकड़ भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक से संस्थागत (कार्यालय) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और यह भी निर्णय हुआ कि भूमि के वाणिज्यिक एवं संस्थागत मूल्य के अन्तर की धनराशि की मांग शासन से की जाये।

विषय संख्या :15 लखनऊ महायोजना 2021 के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे 4 जोनल प्लान्स की प्रगति तथा 3 और जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को नोडल एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : महायोजना 2021 के अन्तर्गत जोनल प्लान तैयार करने हेतु एजेन्सी के चयन के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जोनल प्लान बनाने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक से पूर्व जोनल प्लान्स् तैयार कर लिये जाये।

विषय संख्या :16 श्रीमती ऊषा बजाज पत्नी श्री रणबीर बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज द्वारा भूखण्ड संख्या बी–940, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ का भू–उपयोग महायोजना 2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में दायर याचिका सं0:6553(एम.बी.)/2006 पर पारित आदेश के सम्बन्ध में।

निर्णय : माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.06 के क्रम में प्रस्ताव पर विचार किया गया। कुल 5 भूखण्डों में से केवल एक भूखण्ड का मानचित्र व्यवसायिक प्रयोजन हेतु है, शेष भूखण्डों के मानचित्र आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। अतः प्रस्ताव के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

विषय संख्या :17	बिरला साफ्ट द्वारा आवास बंधु उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित इन्टीग्रेटेड अप्लीकेशन साफ्टवेयर पैकेज (आई0ए0एस0पी0) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु फेसिलिटी मैनेजमेंट के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि बिरला साफ्ट द्वारा विकसित पैकेज लागू होने के उपरान्त पूर्व से आउटसोर्स के आधार पर लगाये गये स्टाफ को चरणबद्ध रूप से कम किया जाये एवं इस हेतु एक कार्य योजना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
विषय संख्या :18	कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेसन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या :19	ग्राम–बरगंवा, परगना–बिजनौर, जनपद–लखनऊ स्थित खसरा संख्या–585 में निर्मित भवन के समायोजन हेतु।
निर्णय :	सक्षम स्तर पर नियमानुसार विचार किया जाये।
विषय संख्या :20	कुमॉयु परिषद, लखनऊ द्वारा उत्तराखण्ड कलाकेन्द्र एवं बहु– उद्‌देशीय भवन के निर्माण हेतु कुमायुँ परिषद को गोमती नगर विस्तार योजना में 500 वर्गमीटर संस्थागत भूमि आवंटन विषयक।
निर्णय :	इस सम्बन्ध में शासनादेश एवं नोएडा द्वारा अपनायी गई नीति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपनी नीति बनाई जाये और नीति के अनुसार समस्त लम्बित प्रस्तावों पर विचार किया जाये।

विषय संख्या :21	ओसामा तलहा फाउण्डेशन हेतु व्यवसायिक शिक्षण संस्थान आई0टी0आई0, बी0बी0ए0 एवं एम0बी0ए0 को हरदोई रोड योजना के सेक्टर–आई मे 2.5 एकड़ संस्थागत भूमि आवंटन विषयक ।
निर्णय :	विषय संख्या–20 में लिए गये निर्णय के अनुसार लिया जाये।

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।